ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

सितम्बर 2018 अंक 03

विषय सूची

सितम्बर 2018
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- विधि आयोग की अनुशंसाएँः एक अवलोकन
- बढ़ती आबादीः वरदान या अभिशाप
- भारत में आदिवासी स्वास्थ्य की जाँच रिपोर्ट
- मरीन हीट वेब्सः बिगड़ते समुद्री हालात
- बिम्सटेक की क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ती प्रासंगिकता
- नई कृषि निर्यात नीतिः एक परिचय
- बायोसिमिलरः स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता हुआ अवसर

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 22-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण चक्रवातीय तूफान 39-40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विधि आयोग की अनुशंसाएँः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार', 'लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने' तथा 'राजद्रोह के संबंध' में एक परामर्श पत्र जारी किया है।

विधि आयोग ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही विधि आयोग ने यह भी कहा कि देश की आलोचना करना या फिर किसी व्यवस्था में विश्वास न रखना देशद्रोह नहीं माना जा सकता।

क्या है 'परिवार कानून में सुधार' हेतु परामर्श पत्र?

विधि आयोग ने पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मौजूदा हालात में समान नागरिक संहिता की जरूरत को अप्रासंगिक बताया गया है। हर धर्म के अपने निजी लॉ है और उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने विधि आयोग से कानूनी राय माँगी थी कि क्या देश में हर धर्म के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। साथ ही कई ऐसे प्रथा जैसे ट्रिपल तलाक, बहु विवाह और हलाला जैसी चीजों पर राय मांगी गई थी। 187 पन्नों के विस्तृत रिपोर्ट में विधि आयोग ने हर पहलू पर अपनी राय दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान संदर्भ में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। मौजूदा पर्सनल कानूनों में सुधार की जरूरत है। धार्मिक परम्पराओं और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

हालांकि केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक पर एक कानून बनाने की सोच रही है लेकिन रिपोर्ट इसको लेकर किसी कानून का जिक्र नहीं करती। आयोग के मुताबिक एकतरफा तलाक की स्थिति में घरेलू हिंसा रोकथाम कानून और आईपीसी की धारा 498 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट में ट्रिपल तलाक की तुलना सती, देवदासी, दहेज प्रथा जैसी परम्पराओं से की गई है। कहा गया है कि ट्रिपल तलाक न तो धार्मिक परम्पराओं और न ही मूल अधिकारों से जुड़ा है। अगर ट्रिपल तलाक पर लगाम लगता है तो हलाला भी खत्म हो जाएगा।

कई मुस्लिम देशों में दो विवाह को लेकर सख्त कानून है। पाकिस्तान में दूसरा विवाह करने के लिए पहली पत्नी की मंजूरी जरूरी है। पहली पत्नी की मर्जी के बिना दूसरी शादी करना अपराध है। इसलिए ये बेहतर होगा कि निकाहनामे में जिक्र होना चाहिए कि बहुविवाह करना अपराध होगा। हालांकि आयोग ने कहा कि वो फिलहाल इसकी सिफारिश नहीं कर रहा क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

मुस्लिम समाज में प्रचलित कॉन्ट्रैक्ट मैरिज महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर सही तरह से अमल हो तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

रिपोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामा पर विचार करने के लिए कहा गया है।

विधि आयोग ने सभी धर्मों के अवैध (शादी से बाहर के) बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाने की सिफारिश की है। कहा गया है कि इन बच्चों को अपने माता-पिता की सम्पत्ति में बराबर हक मिलना चाहिए। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बदलाव की बात भी की है। अभी कोर्ट में हुई शादी को कानूनी मान्यता देने से पहले परिवार वालों को 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। विधि आयोग ने कहा कि ये पीरियड खत्म होना चाहिए या उस दौरान प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आयोग का मानना है कि इस दिए गए समय का अंतर्जातीय शादी का विरोध करने वाले परिवार गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये शादी के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देता है।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष है। इससे इस मान्यता को बढ़ावा मिलती है कि लड़की हमेशा लड़के से छोटी होनी चाहिए। साथ ही तलाक को और आसान बनाने की भी बात कही गई है। इससे कानूनी पचड़े में पड़े शादीशुदा जोड़े की जिंदगी आसान हो जाएगी।

क्या है 'लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने' की सिफारिश?

विधि आयोग ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने इसके लिए संविधान में चुनाव संबंधी कानून में संशोधन की सिफारिश की है। कानून मंत्रालय को सौंपी गई इस मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोग इस बात से अवगत है कि संविधान के मौजूदा ढाँचे के अंतर्गत एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है इसलिए आयोग ने कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। आयोग ने सुनिश्चित किया है कि संविधान और अन्य विधियों में मामूली संशोधन होगा। साथ ही इस पर और अधिक चर्चा की जरूरत बताई है।

गौरतलब है कि विधि आयोग से पहले चुनाव आयोग भी एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर अपना समर्थन दे चुका है। विधि आयोग की तरह चुनाव आयोग का भी कहना है कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में यह संभव नहीं है, इसीलिए सरकार को पहले संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के आधे राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी नहीं है। आयोग के मुताबिक 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ किए जा सकते हैं तथा 2021 के अंत तक 16 राज्यों और पुडुचेरी के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इस तरह भविष्य में पाँच साल की अवधि में केवल दो बार चुनाव होंगे। आयोग ने कहा कि देश को हमेशा चुनावी मोड से बाहर निकालने के लिए चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इस तरह एक साथ चुनाव कराने से जनता के पैसे की बचत, प्रशासनिक ढाँचे पर पड़ने वाले बोझ और सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी आएगी। साथ-साथ चुनाव होने से बेहतर तरीके से सरकार की नीतियाँ लागू हो पाएंगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन दिनों देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर बहस चल रही है।

जहाँ केंद्र सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसके लिए तैयार नहीं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा देश में सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व. भैरोसिंह शेखावत ने उठाया था। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए स्व. शेखावत ने भी उस समय ,जनता के पैसे की बचत के साथ ही चुनाव के दौरान अलग-अलग राज्यों में लगने वाली आचार संहिता के दौरान विकास कार्य बाधित होने की बात कही थी।

देश में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू होने के बाद 1952, 1957 और 1962 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1967 में बनी गठबंधन सरकारों के दौर के बाद सरकारों के गिरने और बनने का सिलसिला शुरू हुआ तथा राज्यों में अलग-अलग समय में विधानसभा चुनाव होने लगे।

क्या है 'राजद्रोह के संबंध' में परामर्श पत्र?

देश की आलोचना या किसी व्यवस्था में विश्वास न रखना या फिर इसके एक खास पहलू को देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। यह आरोप केवल तभी लगाया जा सकता है जब सरकार को हिंसा और गैरकानूनी तरीकों से उखाड़ फेंकने का इरादा हो। यह टिप्पणी विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक परामर्श पत्र में की। राजद्रोह की आईपीसी की धारा 124-क के पुनरीक्षण पर आयोग ने कहा कि आईपीसी में इसे शामिल करने वाला ब्रिटेन इस कानून को दस साल पहले ही खत्म कर चुका है। ऐसे में इस पर विचार किया जाना चाहिए।

परामर्श पत्र में भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में देशद्रोह को फिर से परिभाषित करने पर विचार करने को भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी लोकतंत्र के अहम अंग हैं जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यदि देश सकारात्मक आलोचना के लिए तैयार नहीं है तो यह स्वतंत्रता के पहले और बाद के सालों के बीच का अंतर है। अपने इतिहास की आलोचना और बचाव का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित रहना चाहिए।

इसमें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार का उदाहरण भी दिया गया है, जिस पर जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारेबाजी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। परामर्श पत्र में यह भी कहा गया है कि यह देश की अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी था लेकिन स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए हथियार के तौर पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

विधि आयोग का परिचय

एक गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है।

19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान चार विधि आयोग गठित किये गये थे।

आजादी से पूर्व

- प्रथम विधि आयोग-1834 (लॉर्ड मैकाले-अध्यक्ष)
- दूसरा विधि आयोग-1853
- तीसरा विधि आयोग-1861
- चौथा विधि आयोग-1879

स्वतंत्र भारत में गठित विधि आयोग

स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुई।

वर्तमान में 21वें विधि आयोग की स्थापना उच्चतम न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जा चुकी है (1 सितंबर, 2015)।

आयोग की संरचना

21वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष (31 अगस्त, 2018 तक) का था। 21वें विधि आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- पूर्णकालिक अध्यक्ष
- 4 पूर्णकालिक सदस्य (1 सचिव सहित)
- 2 पदेन सदस्य
- 3 अंशकालिक सदस्य

कार्यप्रणाली

- आयोग की बैठकों को आयोजित करना।
- प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान की जाती है।
- प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर आँकड़ों के संग्रह एवं अनुसंधान हेतु अलग-अलग पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं।
- समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा।
- सार्वजनिक, व्यावसायिक निकायों व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ परामर्श।
- प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना।
- चर्चा और रिपोर्ट की जाँच के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट को आगे बढ़ाना इसके बाद रिपोर्ट पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है।

निष्कर्ष

विधि आयोग की अनुशंसाओं पर गौर करने की आवश्यकता है जिससे कि समान नागरिक संहिता, लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश तथा राजद्रोह के संबंध में दिए गये परामर्श पत्र पर अमल किया जा सके। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है अत: इस बात को ध्यान में रखना होगा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव न हो सके। इसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का महत्व भी बना रहे जिससे कि देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

■

2. बढ़ती आबादीः वरदान या अभिशाप

चर्चा का कारण

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक दुनिया की 68 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगेगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के पश्चात से ही जब भी देश में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू होता है, तो समाज के विभिन्न वर्गों में इस पर मतभिन्नता पायी जाती है जिसमें कुछ वर्गों की प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है जैसे उनका हक छीना जा रहा हो। कुछ लोग इतने असहिष्णु हो जाते हैं जैसे कि उनके निजी जीवन पर हमला किया जा रहा हो। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की समस्या इन सभी तर्कों से ऊपर है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का प्रभाव देश के सभी नागरिकों पर पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश में बड़ी-बड़ी योजनाएँ तो बनीं, लेकिन किसी पर प्रभावी रूप से अमल नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि जनसंख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। केवल 'हम दो हमारे दो' जैसे सरकारी नारों से लेकर परिवार नियोजन के सरकारी विज्ञापन बनते रहे, लेकिन आबादी बढ़ती ही रही।

वर्ष 1950 में भारत की आबादी 37 करोड़ थी। वर्तमान में यह आँकड़ा 1 अरब 25 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। इस वृद्धि से अनुमानतः वर्ष 2050 तक देश की कुल आबादी में 40 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे। शहरी जनसंख्या वृद्धि में दिल्ली सबसे आगे है। एक अनुमान के मुताबिक अगले एक दशक तक दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा।

आज जनसंख्या वृद्धि देश में ज्यादातर समस्याओं का बड़ा कारण बनती जा रही है जैसे कि गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, अपराध, स्वच्छ पानी की कमी। भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का 2.4 फीसदी हिस्सा है और इसमें दुनिया की 18 फीसदी आबादी निवास करती है। देश में जमीन के कुल 60 फीसदी हिस्से पर खेती होने के बावजूद 20 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं।

भारत बनाम चीन

देश में जब भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति निर्माण की चर्चा होती है तो कुछ बुद्धिजीवी चीन की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देने की नीति का उदाहरण देकर, भारत की जनसंख्या वृद्धि को उचित ठहराते हैं। हालांकि चीन ने वर्तमान समय में अपनी जनसंख्या नीति को 'टू चाइल्ड पॉलिसी' में बदल दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नीति को लेकर चीन से तुलना उचित नहीं है। चीन ने अनुमान लगाया है कि 2060 तक 60 वर्ष से ऊपर के प्रति दो बुजुर्गों पर तीन युवा होंगे। ऐसे में संकट यह होगा कि युवा नौकरी करेंगे या बुजुर्गों की सेवा करेंगे। जबकि भारत एक युवा देश है जिसकी वर्तमान युवा आबादी साठ फीसदी से अधिक है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए भारत के संदर्भ में चीन की जनसंख्या नीति अनुपयुक्त है। चीन में अपनी बढ़ती हुई आबादी को संसाधन मानकर, लोगों को अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदार बनाया। इसलिए चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिस प्रकार चीन ने अपनी आबादी को दक्ष कामगार बनाकर उत्पादन और निर्माण से जुड़े कार्यों में लगाया है, उससे भारत सरकार इतनी बड़ी आबादी को अच्छा जीवन एवं रोजगार देने के बारे में चीन से प्रेरणा ले सकती है।

चीन और भारत अभी दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है तथा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगले छह वर्षों में भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी। इसलिए चीन की नीति से सिख लेकर भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या को कौशल जनसंख्या के रूप में बदलना होगा क्योंकि आने वाले समय में यदि भारत की जनसंख्या कौशलपूर्ण होगी तो विश्व में मानव संसाधन की आने वाली कमी को भारत पूरा कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि चीन ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी देश विकास की गति की तरफ बढ़े हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या को कौशलपूर्ण बनाया जिससे बढ़ती जनसंख्या का अपने देश के विकास में उपयोग कर सकें। कई रिपोर्टों से यह बात साबित हो चुकी है कि भारत की कौशल जनसंख्या के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। क्योंकि न सिर्फ हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सस्ता मानव संसाधन के क्षेत्र में भी भारत अन्य देशों से लाभ की स्थिति में है।

भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है इसलिए इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि भारत चीन सरीखे अपनी बढ़ती जनसंख्या का सही सदुपयोग करेगा। देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है और बढ़ती जनसंख्या भारत के लिये यह एक साकारात्मक पहलू है।

वर्तमान परिदृश्य

- 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।
- 2001 से 2011 के दौरान भारत में जनसंख्या बढोत्तरी की वृद्धि दर 1.4 फीसदी रही।
- चीन में जनसंख्या बढ़ोतरी की वृद्धि दर 0.6 फीसदी रही।
- भारत की प्रजनन दर 2.3 फीसदी है।

जनसंख्या विस्फोट

जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप जनसंख्या के आकार में अचानक वृद्धि हो जाती है। यह मानवीय आबादी का अनियंत्रित विकास होता है। सामान्य सीमा से अधिक आबादी में भारी वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यह विकसित देशों की तुलना में विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में प्रायः देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में वृद्धि के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- जन्म नियंत्रण के उपाय के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण जन्म दर में लगातार वृद्धि हुई है।
- चिकित्सा विज्ञान और तकनीक में सुधार तथा निवारक दवाओं (टीके) के व्यापक उपयोग के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

- बेहतर स्वच्छता, बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि के कारण मानव आबादी की औसत जीवन प्रत्याशा में काफी सुधार हुआ है।
- आप्रवासन में वृद्धि अकसर जनसंख्या विस्फोट में योगदान देती है।
- शहरी क्षेत्रों में प्रायः अतिरिक्त आबादी के समायोजित करने के लिए अतिरिक्त स्थान उपलबध कराने की बहुत कम गुंजाइश होती है, इस प्रकार, बड़ी आबादी को एक सीमित क्षेत्र में समायोजित कर दिया जाता है।

बढ़ती जनसंख्याः वरदान या अभिशाप

जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक वरदान के रूप में परिणत हो सकता है यदि देश इन बढ़ती हुई आबादी को रोजगार, शिक्षा, कौशल इत्यादि देकर आर्थिक विकास में भागीदार बना पाने में सक्षम होता हैं। वर्तमान परिदृश्य में इसे श्रम के दृष्टिकोण से वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि मानव शक्ति ही आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। श्रमिक अर्थात मानव शक्ति को संपत्ति का सृजक माना जाता है। जो प्रकृति प्रदत्त साधनों तथा अन्य निष्क्रिय साधनों जैसे पूँजी को सक्रिय बनाता है और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मनुष्य उत्पादक के साथ-साथ उपभोक्ता भी होता है। अतः जनसंख्या दूसरे उत्पादक कार्यो के विस्तार तथा उद्योगों की बनी चीजों के लिए मांग का सृजन करता है। इस तरह मानव शक्ति साधनों के प्रयोग एवं उद्योगों के अलावा गैर कृषि क्षेत्र में बनी वस्तुओं के लिए भी बाजार उपलब्ध कराता है और श्रमिकों की आपूर्ति द्वारा देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है तो वो जनसंख्या संसाधन के रूप में काम आ सकती है। कोई भी देश अपने मानव संसाधन का प्रयोग अपनी तरक्की के लिए कर सकता है। इसके साथ ही अधिक जनसंख्या होने से बाजार पर भी बड़ा असर पड़ता है। इससे दुनिया भर की कम्पनियाँ अपना पैसा उस देश में निवेश करने की इच्छुक रहती है। इसकी वजह से युवाओं की संख्या बढ़ने पर देश की प्रगति में मदद मिलती है।

किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि उस देश के लिए वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी साबित हो सकती है। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने से उस देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण के सभी पैमाने भी इसी की पुष्टि करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही खाद्यान्न की कमी होती है क्योंकि जिस अनुपात में आबादी में इजाफा होता है उस अनुपात में पैदावार नहीं हो पाता है। किसी देश की जनसंख्या अधिक होने से कृषि पर अत्यधिक भार पड़ता है। इससे विकास से हटकर पूरा ध्यान लोगों का पेट भरने पर होता है। इसके अलावा जीवनस्तर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसका उदाहरण भारत की गरीबी के रूप में साफ-साफ देखने को मिल जाता है। लोगों को रोजगार मिलने में भी बेहद परेशानी होती है इसलिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है। चाहे वह विकासशील या अत्पविकासशील राष्ट्र ही क्यों न हो। दुनिया भर में बढ़ती गरीबी की जड़ जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है। इसके कारण एक तरफ जहां सरकारी सेवाएँ चरमरा रही हैं वहीं बेरोजगारी और भूख भी अपने चरम पर है। खाद्यान्न संकट और यहाँ तक की ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बढ़ती जनसंख्या ही जिम्मेदार है। बढ़ती जनसंख्या से न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि मूलभूत सुविधाओं की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि। दूसरे रूपों में कह सकते हैं कि अति जनसंख्या वृद्धि मानव के विकास में अवरोधक का कार्य भी करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- देश की जनसंख्या अनियंत्रित रूप से इसी तरह बढ़ती रही तो, आने वाले समय में शहरों में पीने के लिए पानी और साँस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलनी मुश्किल हो जाएगी।
- ग्रामीण आबादी के रोजगार की तलाश में लगातार शहरों की ओर पलायन करने से, शहरी लोगों की जिंदगी भी मुश्किल बनती जा रही है।
- आजादी के 70 साल बाद भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं बन पाई जिससे ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रूक सके।
- देश में लोग गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन को इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि सरकारें गाँव में रोजगार, गुणवत्तापरक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं करा पाई हैं।
- बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे कृषि योग्य भूमि तथा विविध प्रकार के वृक्ष की प्रजातियों की सुरक्षित भूमि में कमी हो रही है।
- जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप निर्धनता, बेरोजगारी, आवास की समस्या, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव तथा इसे कृषि पर अत्यधिक भार के रूप में भी देखा जा सकता है।
- जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। जिससे कई आर्थिक, सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। आर्थिक विकास में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याएँ, ऊर्जा संकट, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, यातायात की समस्याएँ, रोजगार की समस्याएँ आदि जनसंख्या के निरन्तर वृद्धि के ही दुष्परिणाम हैं।

आगे की राह

देश में दस से पैंतीस वर्ष के मध्य आयुवर्ग के युवाओं की आबादी लगभग साठ करोड़ है। यदि इस युवा आबादी को सही दिशा और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश में केवल अनपढ़ युवाओं की ही आबादी लगभग तीस करोड़ है। देश में दस करोड़ युवा ऐसे हैं, जो शिक्षित होने के बावजूद किसी कौशल में दक्ष नहीं है।

वर्ष 2030 तक दस करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसके लिए इतने दक्ष युवा तैयार करना भी एक चुनौती होगी। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है कि लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाय, जिससे लोग बीमारी और बेरोजगारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में दूसरों पर निर्भर न रहें। हालांकि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कई कार्य किये जा रहे हैं जिससे कि बढ़ती जनसंख्या का संरक्षण हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत में आदिवासी स्वास्थ्य की जाँच रिपोर्ट

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत में आदिवासी/जनजातीय स्वास्थ्य पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासियों के स्वास्थ्य पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्यों के बजट का 9.3 प्रतिशत धन आदिवासियों के स्वास्थ्य पर द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से खर्च किया जाना चाहिए।

ज्ञात हो कि एनजीओ 'सर्च' (गडचिरोली) के अध्यक्ष डॉ. अभय बैंग की अध्यक्षता में आदिवासी स्वास्थ्य पर 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन वर्ष 2013 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आदिवासी मंत्रालय द्वारा किया गया था। पाँच साल के विचार-विमर्श के बाद समिति ने हाल ही में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह भारत में जनजातीय स्वास्थ्य पर ऐसी पहली समीक्षा रिपोर्ट है।

समिति का गठन क्यों?

जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (104 मिलियन) में अधिक होने के बावजूद भी आदिवासी लोग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से समाज में हाशिए पर हैं। स्पष्ट है कि आदिवासी लोग गरीबी, खराब स्वास्थ्य तथा बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में अब तक नहीं पहुँच पायी हैं। उल्लेखनीय है कि आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य समस्याएँ भी अन्य लोगों की तरह समान हैं तथा उनकी जरूरतें भी समान हैं इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल का एक समान राष्ट्रीय पैटर्न उनके लिए भी लागू होना चाहिए था। आदिवासी लोगों की संस्कृति, रहन-सहन तथा पर्यावरणीय दशाएँ समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अलग-अलग हैं। इनकी विभिन्न सामाजिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच उन तक नहीं हो पाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आदिवासियों में स्वास्थ्य समस्याएँ आज भी एक गंभीर समस्या है लेकिन राष्ट्र को ये कैसे मालूम हो कि आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि आदिवासियों के स्वास्थ्य से संबंधित कोई आँकड़ा ही उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के दो मंत्रालयों के लिए स्वतंत्रता के 70 सालों और 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएँ गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं। अतः इस समिति के गठन का उद्देश्य दो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए किया गया था:

1. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की क्या स्थिति है और इतना अंतर क्यों है?
2. इस अंतर को तेजी से पाटने के लिए भविष्य में क्या रोडमैप होना चाहिए?

आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित चार क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है:

- आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित वर्तमान में क्या साक्ष्य एवं अनुभव उपलब्ध हैं? और आदिवासी स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
- आदिवासियों के स्वास्थ्य से संबंधित क्या उद्देश्य एवं सिद्धांत होने चाहिए?

- जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का उचित वितरण और मानव संसाधनों का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए?
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के शासन ज्ञान तथा वित्त की आवश्यकता है?

भारत में आदिवासियों की वर्तमान स्थिति

आदिवासी कौन हैं?: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा।

जनसंख्या: जनसंख्या की दृष्टि से आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश (15 मिलियन) में सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (10 मिलियन), ओडिशा (9 मिलियन) और राजस्थान (9 मिलियन) हैं। वास्तव में आदिवासियों की कुल जनसंख्या की दो तिहाई जनसंख्या 7 राज्यों में रहती हैं- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, ओडिसा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। हालांकि, उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या की सघनता सबसे अधिक है। लगभग 90 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देश में 90 जिले या 809 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ आदिवासी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है जो देश में कुल आदिवासी आबादी का लगभग 45 प्रतिशत हैं। दूसरे शब्दों में आदिवासी आबादी का लगभग 55 प्रतिशत 809 आदिवासी बहुलता वाले ब्लॉकों से बाहर रहती है।

इन आदिवासियों की जनसंख्या परंपरागत रूप से देश के क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ वनों का घनत्व लगभग 60% से अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों की सामान्य समझ और अनुभव से पता चलता है कि इन आदिवासियों का आवास बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ हैं परिणामस्वरूप इनकी जनसंख्या का घनत्व कम है।

कहाँ पाये जाते हैं: भारत के 705 अनुसूचित जनजातियों को मुख्यतः चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न हैं:

- अनुसूची-V के जनजातीय क्षेत्र तथा ऐसे जिले एवं ब्लॉक हैं जहाँ इनकी जनसंख्या अत्यधिक है।
- उत्तर पूर्वी भारत जनजातीय आबादी।
- विशेष रूप से कमजोर आदिवासी आबादी।
- अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले जनजातीय आबादी।

जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता: जनगणना 2001 के अनुसार आदिवासियों की

जनसंख्या जहां भारत की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत थी वहीं 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जनजातीय समुदाय में प्रजनन दर 2.5 है। इस प्रकार जनजातीय जनसंख्या में प्रजनन दर घट रही है। वहीं आदिवासियों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत (933) से काफी बेहतर स्थिति में है। आदिवासियों में लिंगानुपात 990 है।

सामाजिक-आर्थिक स्थितिः भारत में अनुसूचित जनजातियों का बड़ा समूह वनोपज का संग्राहक, शिकारी, झूमिंग कृषि करने वाले, चरवाहे, खानाबदोश तथा शिल्पकार हैं। आदिवासियों की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई आबादी प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। (गैर आदिवासियों की तुलना में) तथा कृषि पर उनकी निर्भरता अधिक है जिनमें मुख्यतः कृषि कर्म करने वाले तथा कृषि मजदूर प्रमुख हैं।

कुल मिलाकर, देश में गैर-आदिवासी आबादी (20.5%) की तुलना में 40.6% आदिवासी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती हैं।

सुविधाओं तक पहुँचः जनजातीय आबादी का केवल 10.7% आबादी को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध है वहीं गैर जनजातीय आबादी की पहुँच 28.5% है। प्रत्येक 4 में से 3 आदिवासी लोग (74.7%) खुले में शौच करते हैं। खाना बनाने के लिए उपलब्ध स्वच्छ ईंधन का उपयोग आदिवासियों की तुलना में गैर आदिवासी तीन गुना अधिक करते हैं।

शिक्षाः भारत में लगभग 41 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या अनपढ़ है जबकि 35% आदिवासी जनसंख्या ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर पायी है। 2% से कम उच्च शिक्षित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केवल 6.7% आदिवासी जनसंख्या (18 वर्ष से ऊपर) ऐसी हैं जिसने 12वीं तक ही शिक्षा प्राप्त किये हैं।

संवैधानिक तथा अन्य प्रावधानः भारत के संविधान में आदिवासी लोगों के लिये विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही भारत का संविधान उनके अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान में दो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ये हैं पाँचवीं तथा छठवीं अनुसूची। जिनका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कानूनों के माध्यम से जनजातीय आबादी को सूरक्षा प्रदान करना है।

- संसद ने 5वीं अनुसूची में शामिल जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंधों का विस्तार करने के लिए 1996 में पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA) पारित किया गया था जिसका मूल उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परम्पराओं, रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान तथा इनकी संसाधनों की रक्षा करना था।
- 1999 में एक एकीकृत, योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से अनुसूचित जनजातीयों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया।
- वनों में रहने वाले आदिवासियों की विषम जीवन स्थिति को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 बनाया गया। जो मुख्य रूप से देश के आदिवासी को वनों पर मालिकाना हक प्रदान करता है।

क्या है रिपोर्टः डॉ. अभय बैंग की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासियों के स्वास्थ्य से संबंधित 10 स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की है जो निम्न हैं:

1. जीवन प्रत्यासा, 2. प्रजनन, मातृ मृत्युदर, नवजात, एवं बाल स्वास्थ्य 3. बीमारियों का बोझ 4. संक्रामक रोग 5. गैर-संक्रामक रोग 6. आनुवांशिक विकार 7. पोषण 8. मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यसन 9. आदिवासी क्षेत्रों में पशु हमले और हिंसा 10. जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की मांग।

आदिवासी लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा से पता चला हैं कि आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधी 10 संकेतकों में से 9 संकेताकों का स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम निम्न हैं तथा आदिवासियों में निम्न स्वास्थ्य स्थिति वैश्विक है।

जीवन प्रत्याशाः लासेंट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत की आदिवासी जनसंख्या में जीवन प्रत्यासा 63.9 वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जीवन प्रत्यासा 67 वर्ष है।

मातृ स्वास्थ्यः आदिवासियों में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति भयावह है। 15 से 19 वर्ष की किशोर आदिवासी लड़कियों का वजन कम हैं या उनका बॉडी मॉस इंडेक्स 18.5% से कम है।

शिशु मृत्यु दरः वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों में 2008 में शिशु मृत्यु दर 74 था जबकि अन्य में 62 थी। एनएफएचएस-4 के अनुसार आदिवासियों में शिशु मृत्यु दर 2014 में 44.4 था। 1-4 वर्ष की आयु वर्ग में मृत्यु दर 13.4 तथा 5 साल के अंदर मृत्यु दर 57.2 प्रतिशत (1000 जीवित जन्म पर) था। पिछले 26 वर्षों (1998-2014) में जनजातीय आईएमआर 90 से घटकर 44 हो गया है जो बड़ा सुधार है।

परिवार कल्याणः आदिवासियों में गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग 41% है जो राष्ट्रीय स्तर (49%) के बहुत करीब है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 व 4 के आंकड़ों के अनुसार आदिवासियों में कुल प्रजनन दर 3.1 से घटकर 2.5 के स्तर पर पहुँच गया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.1 हैं।

बीमारियों का बोझः देश में आदिवासी जनसंख्या अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना कर रही है जैसे कि कुपोषण, संक्रामक बीमारियाँ आदि। इन बीमारियों के अंतर्गत मलेरिया, टीबी, एचआईवी, थॉयराइड, कॉलरा, डारिया, हेपेटाइटिश, चर्म रोग आदि। अभी भी इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इन बीमारियों के प्रसार का मुख्य कारण शहरीकरण, पर्यावरणीय क्षरण, जीवनशैली में बदलाव आदि हैं। यहीं नहीं इन कारणों की वजह से कैंसर, तनाव, मधुमेह जैसी घातक बीमारियाँ आदिवासियों में फैल रही हैं। इसके अलावे गैर संक्रामक बिमारियों जैसे-मांसिक बिमारी, विशेषतया व्यसन आदि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रही हैं।

आदिवासियों में आनुवंशिक बीमारियाँ जैसे-एनिमिया, थैलेसिमिया आदि का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है।

पोषणः 29 से 32 प्रतिशत बच्चों तथा 63-74 प्रतिशत व्यस्क पुरूषों एवं महिलाओं को प्रोटीन और ऊर्जा संबंधित पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है।

समिति का सुझावः जनजातीय समुदायों के लिए समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-

1. **न्याय और जिम्मेदारीः** समिति का कहना है कि इन संवेदनशील जनसंख्या के लिए न्यायपूर्ण और जिम्मेदारी के तहत कार्य किया जाय जिसमें कि सरकार और समाज दोनों की समान भागीदारी हो। समिति का कहना है कि इस समुदायों को बाजार आधारित व्यवस्था के लाभ पर नहीं तौलना चाहिए।
2. **उपयुक्तताः** सरकार इन समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक उचित और कारगर नीति बनाये जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल के लिये प्रदान की गई सेवाएं सभी के पास समान रूप से पहुँच सके।

3. **स्वायत्तता:** जनजातीय लोग स्वायत्त रहना चाहते हैं ताकि वे अपनी पहचान तथा अपने जीवन शैली को संरक्षित कर सकें। अतः सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि वे अपनी स्वतंत्रता एवं संस्कृति बनाए रख सकें।
4. **विकेन्द्रीकृत योजना और प्रशासन:** इसके तहत सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा, पंचायत संस्थाओं तथा जिले जैसे मूल ईकाईयों को अधिक शक्ति प्रदान करना चाहिए जिससे कि ये संस्थाएँ आदिवासियों में अपनी सहभागिता बढ़ा सकें।
5. **स्वीकार्यता एवं संस्कृति संवेदनशीलता:** यह एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि कैसे स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समायोजित किया जाए? इसके लिए ये आवश्यक है कि उपचार प्रदाताओं को वैज्ञानिक पद्धति का त्याग कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के तरीकों को अपनाना चाहिए अर्थात आदिवासियों का उन्हीं के पद्धति के माध्यम से उपचार किया जाना चाहिए।
6. **सार्वभौमिकता:** आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य देखभाल की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए घरेलू स्तर पर विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।
7. **पहुँच:** दूरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को इस प्रकार डिजाइन तथा तैयार करने की जरूरत है जिससे की सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, सेवा वितरण प्रणाली जितना हो सके उतना आदिवासी क्षेत्रों के पास हो। इन सुविधाओं की पहुँच कई तरीकों से सुनिश्चित की जा सकती हैं, जैसे-
   - स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संस्थाओं की संख्या ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक होनी चाहिए,
   - मानव संसाधन की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा कम से कम दूरी पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। इस तरह के कार्यकर्ताओं का चयन आदिवासी बहुल इलाकों से ही होना चाहिए या उन्हीं समुदायों से होना चाहिए,
   - जनजातीयों में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता की कमी है इसलिए इनमें स्वास्थ्य शिक्षा होना महत्वपूर्ण है। इनमें स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा सांस्कृतिक रूप से तथा संवेदनशील तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।
   - आदिवासी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और मोबाइल का प्रयोग स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच को आसान बना देगा। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में ज्ञान की वृद्धि भी संभव हो सकेगी। समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की पहुँच आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत कड़ी साबित हो सकती है।
9. **पर्याप्तता:** स्वास्थ्य देखभाल की मात्रा और गुणवत्ता पर्याप्त होने चाहिए।
10. **सरकारी प्रयासों का एकीकरण:** विभिन्न मंत्रालयों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए जिससे की स्वास्थ्य संबंधी अंतर को कम किया जा सके। बहुआयामी स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को स्कूलों, आईसीडीएस, जल और स्वच्छता कार्यक्रम, मनरेगा, पीडीएस, सड़क, वन अधिकार पीईएसए, उत्पाद नीति, दूरसंचार नीति, इत्यादि जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करना होगा।
11. **सशक्तिकरण:** जनजातीय लोगों को अनेक प्रकार से सशक्त किया जा सकता है जैसे-ज्ञान हस्तांतरण और प्रशिक्षण, स्थानीय और समुदाय आधारित मानव संसाधन का विकास, चिकित्सा सुविधाएं और कौशल विकास, स्थानीय नेतृत्व का विकास, स्थानीय नियोजन, प्रबंधन और उत्तरदायित्व, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का विकास, सक्षम प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि।
12. **लचीला और गतिशील:** जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को जटिल और कठोर नियमों के तहत नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसे व्यवहारिक और लचीले कार्यक्रमों के तहत बनाना चाहिए।
13. **वित्तीय संसाधन:** जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य घाटे को कम करने तथा विकलांगता और अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है।
   - भारत के पूर्व योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के अनुपात में योजनागत और गैर योजनागत बजट का एक निश्चित हिस्सा खर्च करने की आवश्यकता है। राज्य योजना के एसटी बजट का कम से कम 15 प्रतिशत धन निर्धारित किया जाना चाहिए और जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
   - केन्द्रीय घटक से जनजातीय स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।
   - जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खानों, वन विभाग तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ जो इन क्षेत्रों से कच्चे माल प्राप्त करते हैं, उन पर आदिवासी लोगों के विकास के लिए अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिए।
   - जनजातीय स्वास्थ्य विकास में नागरिक समाज तथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (CSR) जैसे संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

अब समय आ गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारत सरकार को इस प्रकार की नीतियां बनाये जिससे की जनजातीय क्षेत्रों का बहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। भारत एक विविधता वाला देश है। जब तक सभी वर्गों का (विशेष रूप से आदिवासी या जनजातीय लोगों का) विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना करना अपने आप में बेमानी है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. मरीन हीट वेब्सः बिगड़ते समुद्री हालात

चर्चा का कारण

हाल ही में मौसम वैज्ञानिक थॉमस फ्रोलिशर की टीम ने विभिन्न इलाकों से समुद्री तापमान के आँकड़ें एकत्रित किये थे। वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत नये आँकडों के अनुसार दुनिया के सभी समुद्रों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे समुद्री जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनेक इलाकों से समुद्री प्राणियों के मरने की खबर आने के बाद समुद्री वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सेंडियागो में समुद्र के तापमान का रिकॉर्ड रखने का काम वर्ष 1916 से प्रारंभ किया गया था। इसी आँकड़े के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। उत्तरी ध्रुव के पास तापमान में होने वाली बढ़ोत्तरी से सभी इलाकों तक इसका प्रभाव पहुँचने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है।

क्या है मैरिन हीट वेब्स?

"मैरिन हीट वेब्स समुद्री सतह की वह अत्यधिक गर्म अवस्था है, जिसका प्रभाव कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है तथा इसका विस्तार हजारों किमी. तक होता है।"

मैरिन हीट वेब्स की वैश्विक घटनाएँ

- वर्ष 2003 में भूमध्य सागर में तापमान सामान्य तापमान से 4°C अधिक पाया गया जो 30 दिनों तक बना रहा। यह घटना रिकॉर्ड स्तर पर बड़ी घटना थी जिसके बाद मूंगें की चट्टानों में समुद्री जीव बड़ी मात्रा में मृत पाए गये।
- वर्ष 2011 में पश्चिमी आस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में तापमान सामान्य से 3°C अधिक रहा जो 60 दिनों तक बना रहा। इस घटना से समुद्री शैवाल, मछली और शार्क दक्षिण की ओर चले गये।
- वर्ष 2012 में उत्तर-पश्चिम अटलांटिक महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 2½° C अधिक रहा, जो 56 दिनों तक बना रहा जिसकी वजह से झींगा मछली के उत्पादन को लेकर कनाडा और यूएसए के बीच आर्थिक टकराव देखने को मिला।
- वर्ष 2013-2015 में उत्तर-पश्चिम प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2½° C तक गर्म रहा, जो रिकॉर्ड 266 दिनों तक बना रहा जिस वजह से यूएसए और कनाडा का मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म रहा था।

मैरिन हीट वेब्स की प्रवृत्तियों का विश्लेषण

पिछली शताब्दी से अब तक मैरिन हीट वेब्स की बारम्बारता और उनका ठहराव वैश्विक रूप से देखा गया है। 1982 से 2016 तक मैरिन हीट वेब्स के दिनों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- वैज्ञानिकों ने शिप-आधारित माप, समुद्र तट के किनारे स्थित स्टेशनों के आँकड़े तथा उपग्रहों के अवलोकन के आधार पर 100 वर्षों से अधिक समय तक समुद्री सतह के तापमान के आँकड़ों को एकत्रित किया। इसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि मैरिन हीट वेब्स की घटनाएँ कितनी घटी है तथा कितनी देर तक यह स्थिति रहती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार 1925 से 1954 और 1987 से 2016 के बीच मैरिन हीट वेब्स की बारंबारता में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा उनके ठहराव में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 20 वीं शताब्दी की शुरूआत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 30 दिनों तक मैरिन हीट वेब्स देखी गई थी जो बढ़कर 21वीं शताब्दी में 45 दिनों तक देखी जा रही है।
- 1900 से लेकर 2020 तक का औसत आँकड़ा देखें तो मैरिन हीट वेब्स के दिनों में काफी वृद्धि हुई है। 1900 में जहाँ मैरिन हीट वेब्स के दिनों की संख्या 25-30 के बीच में थी तो वहीं 2020 तक दिनों की संख्या करीब-करीब 60 तक पहुँच जाएगी।

मैरिन हीट वेब्स के कारण

आज मैरिन हीट वेब्स के अतिशय गर्म होने का कारण मानव जनित वैश्विक तापन है। अगर मानव की गतिविधियाँ इसी तरह अनियंत्रित रही तो आने वाले समय में 100 प्रतिशत समुद्री जल गर्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एमएचडब्ल्यू अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बहरहाल मैरिन हीट वेब्स के मुख्यतः दो कारण हैं- 1. प्राकृतिक कारण, 2. मानवीय कारण

प्राकृतिक कारणोंः में मुख्यतः महासागरीय गर्मजल धाराएँ जैसे-एलनीनो, लानीनो, सुनामी आदि। हालांकि मैरिन हीट वेब्स में प्राकृतिक कारणों का समाधान प्रकृति स्वयं कर लेती है लेकिन मानवीय कारण कहीं ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं।

मानवीय कारणोंः में मुख्यतः मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, परमाणु परीक्षण, व्यापारिक गतिविधियाँ जैसे-समुद्री व्यापार, गैस व तेलों का समुद्र में रिसाव विभिन्न फैक्ट्रियों से औद्योगिक कचरों का समुद्र में डाला जाना आदि।

द ब्लॉब (The blob)

प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिकी तट पर उत्पन्न हुई अपेक्षाकृत गर्म जलराशि के समूह को 'द ब्लॉब' कहा जाता है। इसे पहली बार 2013 में देखा गया था जो 2015 तक इस क्षेत्र में बना रहा। समुद्री सतह के तापमान के अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि सितंबर 2016 से 'द ब्लॉब' पुनः समुद्री सतह पर विद्यमान हो गया है।

ग्रीष्म लहर (Heat waves) क्या है?

ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से अधिक तापमान की वह अवधि है, जिसमें सामान्यतः अधिकतम तापमान से अधिक तापमान रहता है। यह परिघटना उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु (मार्च-जून) में देखी जाती है। भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार किसी स्थान का तापमान (मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस) से अधिक होने पर उसे ग्रीष्म लहर की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थान का सामान्य तापमान ही 40 डिग्री से अधिक हो, तो ऐसे स्थान में ग्रीष्म लहर को तापमान के सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक अधिक होने के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो वहाँ के सामान्य तापमान का विचार किये बिना ग्रीष्म लहर की घोषणा कर दी जानी चाहिये। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म लहर की घटनाओं की आवृत्ति काफी अधिक हो गई है। ग्रीष्म लहर के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर हीट क्रैम्प्स, थकान , हीट स्ट्रोक इत्यादि जैसे प्रभाव हो सकते हैं।

प्रभाव

वैज्ञानिक आँकड़ों के मुताबिक 1982 से 2016 के बीच समुद्र में गर्म लहर चलने की घटनाएँ लगभग दोगुनी हो गयी है। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यह लहरें और भी तेज और विकराल होती जाएगी। यह स्थिति अधिक दिनों तक जारी रहने पर समुद्र के अंदर का जीवन भी इससे प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिक थॉमस फ्रोलिशर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुक पाया तो यह गति धीरे धीरे तेज होती जाएगी।

वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का तापमान धीरे धीरे कम होता है, जबकि स्थल पर हवा का तापमान तेज गति से कम होता है, इसीलिए समुद्र में ताप लहर का प्रभाव जमीन के मुकाबले अधिक समय तक बना रहता है। कई बार यह स्थिति कई हफ्तों तक बची रहती है। ऐसे में समुद्र के अंदर का जीवन समाप्त होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के अंदर का जीवन तेजी से तापमान बढ़ने और घटने की स्थिति को सहन करने की शक्ति नहीं रखता। वैज्ञानिकों के अनुसार जो तैरने वाले प्राणी हैं, वे तो ठंडे जल की तरफ तैरकर चले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रवाल भित्ति जैसे जलज इस गर्मी की वजह से काल कवलित हो रहे हैं। यह समुद्री जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक संकेत है क्योंकि एक बार इनके नष्ट होने के बाद दोबारा उन्हें तैयार करने में वर्षों लग सकते हैं।

वर्ष 2016-17 में इसी वजह से पूर्वी आस्ट्रेलिया के प्रवाल भित्ति का आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया था। समुद्र में पाये जाने वाली मछलियों में से 25 प्रतिशत मछलियाँ इसी प्रवाल भित्ति के आस-पास रहती हैं। प्रवाल भित्ति के समाप्त होने से मछलियों का जीवन भी समाप्त होने के कगार पर पहुँच गया है। गर्म पानी में रहने वाले कुछ समुद्री प्राणियों को सेंडियागो के आस-पास देखा गया फिर वहां गत 9 अगस्त को समुद्र का तापमान आंका गया, जो 26.4 डिग्री था। यह अब तक का सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड है।

- मैरिन हीट वेब्स की वजह से ठण्डे प्रदेशों में तापमान बढ़ रहा है जिससे वहाँ की पारिस्थितिकी पर बुरा प्रभाव पड़ा है।
- ठण्डे जल की तलाश में जब मछलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो मत्स्य पालन का क्षेत्र प्रभावित होता है। इससे इन क्षेत्रों में आश्रित मछुआरों की आय प्रभावित हो रही हैं।
- मैरिन हीट वेब्स के कारण मौसम संबंधी समस्याएँ सामने आ रही हैं, जैसे ठण्डे प्रदेशों का गर्म होना तथा गर्म प्रदेशों का ठण्डा होना अर्थात मानसून नियमितता में कमी आदि।

आगे की राह

- रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से मैरिन हीट वेब्स के पूर्व संकेतकों का अनुसरण कर इस घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा इससे निपटने की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सकता है।
- पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण का अध्ययन कर उच्च क्षमता के कैमरों द्वारा मैरिन हीट वेब्स के प्रभावशीलता को जाँचा जा सकता है तथा इसके लिए पूर्व सावधानियाँ बरती जा सकती हैं।
- हाल ही में किये गये अनुसंधानों द्वारा वैज्ञानिक यह पता लगाने में सक्षम हो गये हैं कि मानवीय गतिविधियाँ किस हद तक मैरिन हीट वेब्स को प्रभावित करती हैं। अतः वैज्ञानिक खोजों द्वारा इस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।
- गहन अध्ययन, नये वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अंतर विषय दृष्टिकोण द्वारा 'मैरिन हीट वेब्स' के प्रभावों को गहन रूप से समझने में सहायता प्राप्त होगी। अतः उपर्युक्त दृष्टिकोण के माध्यम से मैरिन हीट वेब्स का पूर्वानुमान कर उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, व्यापारिक गतिविधियों में कमी तथा समुद्र में तेल व गैस के रिसाव को रोककर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. बिम्सटेक की क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ती प्रासंगिकता

चर्चा का कारण

हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (BIMSTEC)' बिम्सटेक का दो दिवसीय सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडु में संपन्न हुआ, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। यह बिम्सटेक का चौथा सम्मेलन था जिसका विषय 'शांत, संपन्न और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' था। इसमें करीब-करीब वहीं देश शामिल हैं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में हैं।

काठमाण्डु घोषणापत्र

- चौथे बिम्सटेक सम्मेलन की शुरूआत 30 अगस्त को हुई। उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के बीच कनेक्टीविटी, व्यापार, डिजिटल और जनता के बीच जुड़ाव जैसे मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ।
- नेपाल की राजधानी काठमाण्डु में हुआ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। सम्मेलन की समाप्ति पर काठमाण्डु घोषणापत्र जारी किया गया। इसमें भविष्य में सहयोग की रूपरेखा बताई गई है।
- बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच बिजली ग्रीड को जोड़ने का समझौता भी संपन्न हुआ। इससे ये 7 सदस्यीय देश आपस में बिजली की खरीद एवं बिक्री कर सकेंगे।
- नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बिम्सटेक देशों ने संगठन में नई जान फूंकने और व्यापार, कनेक्टीविटी तथा पर्यटन जैसे-क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है।
- साथ ही उन्होंने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना भी की और व्यापार के मामले में सदस्य देशों को सहयोग करने का आग्रह किया।
- बिम्सटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच हर तरह की कनेक्टीविटी बढ़नी चाहिए, जैसे- व्यापारिक संपर्क, आर्थिक संपर्क, परिवहन संपर्क, डिजिटल संपर्क और जनता का जनता से बेहतर संपर्क जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक देशों के बीच नई कनेक्टीविटी के लिए कई तरह का खाका भी पेश किया, जैसे-

- इस साल के अंत में स्टार्ट अप सम्मेलन।
- अक्टूबर में भारत मोबाइल कांग्रेस के दौरान बिम्सटेक देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन।

- संयुक्त जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना।
- युवाओं, विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए हेकाथान योजना।
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अभ्यास।
- नालंदा विश्वविद्यालय में सालाना 30 स्कॉलरशिप तथा एडवांस मेडिसिन में 12 रिसर्च फेलोशिप।
- विभिन्न क्षेत्रों में 100 इंडियन टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम।
- बिम्सटेक देशों के राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा बिम्सटेक देशों की महिला सांसदों का फोरम शामिल है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी जैसी समस्याओं से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्व विद्यालय में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक अध्ययन सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगा। उन्होंने इस सम्मेलन में बिम्सटेक के सभी नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथा बिम्सेटक सम्मेलन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का सुनहरा अवसर है।

पृष्ठभूमि

- आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए बनाये गये इस संगठन में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। 7 देशों का यह संगठन मूलरूप से एक सहयोगात्मक संगठन है जो व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्यपालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी में सहयोग को आधार बनाकर स्थापित किया गया था लेकिन बाद में इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया। बिम्सटेक का मुख्यालय ढ़ाका में है।
- बिम्सटेक का गठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के बाद किया गया। शुरूआत में इसमें केवल बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाइलैण्ड थे और इसका नाम था बिस्ट-ईसी (BIST-EC) अर्थात् बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैण्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दिसम्बर 1997 में म्यांमार भी इस समूह से जुड़ा तब इसका नाम पड़ा बिम्स्ट-ईसी (BIMST-EC)। इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गये।
- 31 जुलाई, 2004 को बैंकॉक में आयोजित प्रथम सम्मेलन में इसका नाम बिम्सटेक रखने का निर्णय लिया गया, जो Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation का छोटा रूप है। सदस्य देशों को बिम्सटेक की अध्यक्षता उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रम के अनुसार मिलती है। बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच आपसी बातचीत के लिए उच्चस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करता रहा है। शिखर सम्मेलनों मंत्रिस्तरीय बैठकों, उच्चाधिकारियों की बैठकों और विशेषज्ञों के बीच वार्ताओं के अलावा बैंकॉक स्थित बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप के जरिए बिम्सटेक विभिन्न सरकारों के बीच संपर्क स्थापित करने का मंच मुहैया कराता है। बिम्सटेक की अब तक 4 शिखर बैठकें हुई हैं।
- पहला शिखर सम्मेलन 2004 में बैंकॉक में आयोजित किया गया था। जबकि 2008 में दूसरा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बिम्सटेक का तीसरा शिखर सम्मेलन 2014 में म्यांमार में आयोजित हुआ और चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल के काठमाण्डु में हाल ही में सम्पन्न हुआ है।

बैंकॉक में आयोजित होने वाले पहले शिखर सम्मेलन ने इस क्षेत्रीय समूह को एक नई दिशा देने का काम किया। इस सम्मेलन में श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और थाइलैण्ड के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया था।

- इस सम्मेलन के घोषणापत्र में व्यापार निवेश, परिवहन, संचार, पर्यटन, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, कृषि, मत्स्यपालन, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा लोगों के आपसी संपर्क पर जोर दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों में आपसी सहयोग करने पर सहमति बनी।

बिम्सटेक के दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2008 में नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और समुद्री आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि बिम्सटेक की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही प्राथमिकताओं को तय करते हुए एक साझी योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा भारत द्वारा परिवहन संरचना और समुद्री परिवहन जैसे मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से संपर्क बढ़ाने की बात कही गई। जिसके बाद इस सम्मेलन में पर्यटन के क्षेत्र में आपसी संबंध बढ़ाने पर सहमति बनी।

बिम्सटेक का तीसरा शिखर सम्मेलन 2014 में म्यांमार की राजधानी 'नय पी ता' (Nay Pyi Taw) में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की बात हुई। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और सामरिक सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग की बात हुई।

साथ ही बिम्सटेक की शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आदर्श मंच के रूप में देखा गया। बिम्सटेक के कार्यकलापों को देखते हुए एडीबी (Asian Development Bank) इसका विकासात्मक सहयोगी बना।

- बिम्सटेक देशों के बीच में भौतिक संपर्क, आर्थिक संपर्क और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के लिए एडीबी प्रोत्साहन करता है और फण्ड देता है।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

बिम्सटेक के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग 22 फीसदी आबादी बिम्सटेक देशों में रहती है जिनकी संयुक्त जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है।

- इन सभी देशों ने 2012 से 2016 के बीच अपनी औसत आर्थिक वार्षिक वृद्धि दर को 3.4 से 7.5 फीसदी के बीच में बनाये रखा है।
- समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार का एक चौथाई हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है।
- बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है। दरअसल बिम्सटेक के सात देश बंगाल की खाड़ी के आस-पास स्थित हैं जो एक समान क्षेत्रीय एकता को दर्शाते हैं।
- भारत ने शुरू से ही इस संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों

के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। इस समूह में दो देश दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं। म्यांमार और थाईलैण्ड भारत को दक्षिण पूर्वी इलाके से जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम हैं। इससे भारत के व्यापार को न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत और म्यांमार के बीच हाइवे की परियोजना तथा भारत की पूर्व एशिया की नीति को मजबूती प्रदान करेगा।

- भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को अगर सफल बनाना है तो बिम्सटेक को भी सफल बनाना पड़ेगा।
- बे ऑफ बंगाल के सभी तटीय देश तथा आसियान देशों के साथ मेल-जोल भी बढ़ेगा।
- भारत का 50% व्यापार अब पश्चिमी देशों से न होकर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से ही होता है।
- दक्षिण एशियाई देशों में विकास तेजी से बढ़ रहा है जैसे भारत का विकास दर 7-7.5 फीसदी तथा बांग्लादेश का 6-6.5 फीसदी का दर से बढ़ रहा है।
- इससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- बिम्सटेक देशों में मजबूत संबंध भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है।
- इससे भारत-म्यांमार के बीच परिवहन परियोजना में तेजी आयेगी।

बिम्सटेक तथा अन्य देश

- भारत के अलावा बिम्सटेक के सदस्य देशों के लिए भी ये संगठन काफी महत्वपूर्ण है।
- बिम्सटेक के माध्यम से जहाँ बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में खुद को छोटे से देश से ज्यादा महत्व के रूप में देखता है। वहीं श्रीलंका इसे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के अवसर के रूप में देखता है। इसके जरिए श्रीलंका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाना चाहता है।
- दूसरी तरफ नेपाल और भूटान के लिए बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और अपनी भूमिगत, भौगोलिक स्थिति से बचने की उम्मीद को आगे बढ़ाता है।
- वहीं म्यांमार और थाईलैण्ड को इसके जरिए बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और भारत के साथ व्यापार करने के नये अवसर मिलेंगे।
- बिम्सटेक के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है।
- चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में हिन्द महासागर तक पहुँचने के लिए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच बनाना चीन के लिए जरूरी होता जा रहा है। जबकि भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुँच और प्रभुत्व बनाए रखना चाहता हैं। इस लिहाज से भी बिम्सटेक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
- बिम्सटेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी को भी शामिल करता है।
- एक-दूसरे से जुड़े साझा मूल्यों, इतिहासों और जीवन के तरीकों के चलते बिम्सटेक शांति और विकास के लिए एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत के लिए बिम्सटेक 'पड़ोसी सबसे पहले' और 'पूर्व की ओर देखो' नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वभाविक मंच है।

बिम्सटेक की आवश्यकता क्यों?

बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इसके सात में से पांच देश सार्क के सदस्य हैं जबकि दो, आशियन के सदस्य हैं। ऐसे में ये सार्क और आसियान देशों के बीच अंतरक्षेत्रीय सहयोग का भी एक मंच प्रदान करता है।

बिम्सटेक के गठन के पहले भी आपसी सहयोग को लेकर एशिया में क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में रहे हैं जिसमें सार्क भी शामिल हैं। 8 सदस्यीय ये संगठन 5 दिसम्बर, 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढ़ाका में अस्तित्व में आया था जिसका मकसद आर्थिक समृद्धि, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास और अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाएँ तलाश करना था लेकिन सार्क अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा है इसलिए अब बिम्सटेक की महत्ता बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षो से बिम्सटेक अपने एजेण्डा को मजबूती से विस्तार कर रहा है। इस समूह ने 14 क्षेत्रों की पहचान की है इनमें चार प्रमुख क्षेत्र भारत में अग्रणी है इसमें परिवहन, संचार, पर्यटन और पर्यावरण प्रमुख हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही भी शामिल है।

जानकारों का मानना है कि सार्क के मुकाबले भारत बिम्सटेक को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। बिम्सटेक में सक्रिय भागीदारी से भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं सीमा पर आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर वैचारिक रूप से सहमत हों। सार्क की विफलता और भारत-पाकिस्तान के आपसी तनाव के बीच बिम्सटेक का महत्व बढ़ रहा है जो आने वाले समय में क्षेत्रीय सहयोग का बड़ा मंच साबित हो सकता है।

दरअसल पिछले 30 सालों से सार्क मात्र औपचारिकता बन कर रहा गया है क्योंकि केवल सम्मेलनों का नियमित रूप से होना किसी संस्था के जीवित होने का प्रमाण नहीं है। जहाँ तक सार्क के ठोस कदम उठाने का प्रश्न है तो पाकिस्तान के असहयोग और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।

- जहाँ तक सार्क की उपलब्धियों का प्रश्न है फूड एवं डेवलपमेंट बैंक, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में हुई कई समझौते बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। सदस्य देशों में कई बार आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर भी सहमति बनी है लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का रूख स्पष्ट नहीं रहा है, जो सार्क की विफलता की एक बड़ी वजह बनी। कश्मीर के उड़ी में 18 सितम्बर, 2016 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आयोजित सार्क देशों की शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया।
- दुनिया के बड़े धर्मों की जन्मभूमि दक्षिण एशिया में वो सबकुछ मौजूद है, जो इसे वैश्विक परिदृश्य पर अपनी पहचान बनाने वाली एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए चाहिए। क्षेत्रीय एकजुटता सहयोग और सामूहिक विकास को लेकर आपसी सहयोग की इसमें काफी संभावनाएँ हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में ये खास तौर पर अहम शाबित हो सकता है। पाकिस्तान की गैर मौजूदगी वाला ये संगठन दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग के लिए सार्क से बेहतर और बड़ा वैकल्पिक मंच दे सकता है।

चुनौतियाँ

- वैश्वीकरण के युग में बिम्सटेक देशों में अंतर्क्रियात्मक सहयोग की गति बहुत धीमी है।
- वर्ष 2014 में ढाका में बिम्सटेक के सचिवालय की स्थापना की गई थी लेकिन इसकी पहुँच बिम्सटेक देशों में ही सीमित है।
- बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार और निवेश अपेक्षानुरूप नहीं है जबकि वैश्विक व्यापार

का लगभग 50% व्यापार बंगाल की खाड़ी से ही संपन्न होता है।

- चीन का दक्षिण व दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में बढ़ता भारी निवेश व वर्चस्व।
- बिम्सटेक देशों में भारत का निवेश तथा पहुँच बहुत सीमित होने के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता की कमी।
- दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ता आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी।
- सार्क की महत्ता में लगातार ह्रास।

आगे की राह

- वर्तमान वैश्विक युग में बिम्सटेक देशों के बीच अंतर्क्रियात्मक सहयोग पर बनी सहमति को गति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- बिम्सटेक सचिवालय को सार्क, आसियान जैसे अन्य संगठनों की तरह पहुँच बढ़ाने की जरूरत है।
- बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को चीन और अमेरिका की नीतियों का पालन करना चाहिए जिन्होंने अपने पड़ोसी देशों में व्यापार और निवेश परियोजनाओं पर काफी निवेश किया है।
- चूँकि भारत एक उभरती हुई ताकत है, ऐसे में भारत को दक्षिण या दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों को अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहिए साथ ही चीन को इस क्षेत्र में रोकने के लिए भारत को निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
- दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में बढ़ते आतंकवाद तथा नशीली दवाओं एवं मादक द्रव्यों के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए बिम्सटेक देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी बिम्सटेक देश आतंकवाद के साथ-साथ मानव तस्करी और नशीली दवाओं के बढ़ते प्रभाव से प्रभावित हैं। भारत में मादक द्रव्यों के चलते हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ती है। इसके अलावा मानव तस्करी की वैश्विक घटनाएँ सबसे ज्यादा इन्हीं देशों में होती हैं। अतः इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
- बिम्सटेक के साथ-साथ सार्क जैसे संगठनों को भी मजबूत करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. नई कृषि निर्यात नीतिः एक परिचय

चर्चा का कारण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नई कृषि निर्यात नीति' को जल्द लागू किये जाने की घोषणा की। प्रस्तावित नई राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति में, कृषि निर्यात को वर्ष 2022 तक दोगुना (60 अरब डॉलर) करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे भारत को शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही निर्यात नियमों में स्थिरता आएगी। भारत पहली बार कृषि निर्यात नीति की ओर कदम बढ़ा रहा है जिसके माध्यम से भारतीय किसान वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पाद को बाजार में ले जाने की रणनीति में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

क्या है नई कृषि निर्यात नीति?

नई कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत स्थिर कारोबारी नीति को बढ़ावा, एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) अधिनियम में सुधार, मंडी शुल्क को व्यवस्थित करने और पट्टे पर जमीन देने के नियम को उदार बनाया जाएगा। इस नीति में राज्यों की ज्यादा भागीदारी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार और नए उत्पादों के विकास में शोध एवं विकास गतिविधियों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 'राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति' किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर बनाई गई है, जिससे कि कृषि निर्यात मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2022 तक 60 अरब डॉलर किया जा सके।

इसका मकसद यह भी है कि ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्द्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही खराब होने वाले सामान, बाजार पर नजर रखने के लिए संस्थात्मक व्यवस्था और साफ सफाई के मसले पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। इस नीति में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने और ऐसे 10 प्रमुख देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जो कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं। स्थिर कारोबारी नीति के काल को स्पष्ट करते हुए इस नीति में कहा गया है कि कुछ जिंसों के उत्पादन व घरेलू दाम में उतार-चढ़ाव, महंगाई दर पर लगाम लगाने के लिए कम अवधि के लक्ष्यों, किसानों को मूल्य समर्थन मुहैया कराने के साथ-साथ घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया जाएगा।

वर्तमान परिदृश्य

यकीनन भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अधिशेष की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में देश में कृषि निर्यात की नई संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। देश में 6.8 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। यह जरूरी बफर स्टॉक के मानक से दोगुना है। दूध का उत्पादन आबादी बढ़ने की दर से चार गुना तेजी से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 17.63 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी का उत्पादन 3.2 करोड़ टन होने की उम्मीद है जबकि देश में चीनी की खपत 2.5 करोड़ टन है। इसी तरह से देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन मूल्य 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह कृषि क्षेत्र में अतिशय उत्पादन देश के लिए निर्यात की नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर रहा है।

- भारत दुनिया में कृषि उत्पादों के 15 प्रमुख निर्यातकों में से एक है। यह देश में चावल, माँस, मसाले, कच्चा कपास और चीनी जैसे कुछ कृषि वस्तुओं में एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरा है। भारत ने बासमती चावल, ग्वार गम और अरंडी के तेल की तरह कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों में निर्यात प्रतिस्पर्द्धा विकसित की है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स (DGCIS) के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में भारत से कृषि एवं सहायक उत्पादों का निर्यात 25 प्रतिशत कम होकर 24.69 अरब डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2014 में यह आँकड़ा 32.95 अरब डॉलर था।

- इसके उलट इस दौरान इन उत्पादों का कुल आयात 13.49 अरब डॉलर से बढ़कर 23.20 अरब डॉलर हो गया।
- कृषि वस्तुओं का वैश्विक निर्यात 1.4 बिलियन डॉलर है जिसमें भारत का हिस्सा लगभग 2.2 प्रतिशत है। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख कृषि वस्तुएँ बासमती चावल (लगभग 6 बिलियन डॉलर), समुद्री उत्पाद तथा भैंस का मांस (लगभग 4 बिलियन डॉलर) है।

नई कृषि नीति की आवश्यकता क्यों?

- विदित हो कि बीते तीन वर्षों में कृषि निर्यात लगातार कम हुआ है। वर्ष 2013-14 के 42.9 अरब डॉलर से घटकर यह वर्ष 2016-17 में 33.4 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि कृषि जिंसों के मामले में भारत घाटे से अधिशेष वाला देश बन चुका है और उसे अपनी अतिरिक्त उपज के लिये नए बाजारों की आवश्यकता है।
- कमजोर घरेलू कीमतों और किसानों की बढ़ती निराशा तथा हाल के दिनों में अत्यधिक पैदावार के बाद भी किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिले, इससे भी निर्यात बढ़ाने की जरूरत है।
- पिछले दिनों सरकार के द्वारा घोषित की गई नई कृषि निर्यात नीति के तहत सरकार ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए उदार प्रोत्साहन निर्धारित किए हैं। लक्ष्य है कि कृषि निर्यात मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 तक 60 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाए।
- अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दे पर चीन के द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के कारण अमेरिका की तमाम खाद्य वस्तुएँ चीन के बाजारों में महंगी हो गई हैं। चूंकि ये अधिकांश वस्तुएँ भारत भी चीन को निर्यात कर रहा है और भारतीय वस्तुओं पर चीन ने कोई आयात शुल्क नहीं बढ़ाया है ऐसे में ये भारतीय वस्तुएँ चीन के बाजारों में कम कीमत पर मिलने लगेगी। इससे चीन में भारत के निर्यात बढ़ेंगे।
- नई कृषि निर्यात नीति से वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की मौजूदा 2.2 फीसदी भागीदारी बढ़ाने और भारत को कृषि निर्यात से संबंधित दुनिया के 10 प्रमुख देशों में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार का प्रयास है कि नई कृषि निर्यात नीति से ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कृषि निर्यात के दौरान खराब होने वाले सामान, बाजार पर नजर रखने के लिए संस्थापक व्यवस्था और साफ-सफाई के मसले पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- निर्यात किए जाने वाले कृषि जिंसों के उत्पादन व घरेलू दाम में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए कम अवधि के लक्ष्यों तथा किसानों को मूल्य समर्थन मुहैया कराने के साथ घरेलू उद्योग को संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही राज्यों की कृषि निर्यात में ज्यादा भागीदारी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार तथा नए कृषि उत्पादों के विकास में शोध एवं विकास गतिविधियों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है।
- भारत के खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) क्षेत्र से कृषि निर्यात में वृद्धि की चमकीली संभावनाएँ देखते हुए उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है।
- निःसंदेह भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पाँच क्षेत्रों डेयरी क्षेत्र, फल एवं सब्जी क्षेत्र, अनाज का प्रसंस्करण, मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ के तहत निर्यात की अच्छी संभावनाएँ हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भैंस के मांस, पालतू पशुओं और मोटे अनाज के मामले में भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का फलों और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान है।
- निश्चित रूप से भारत में खाद्य निर्यात से जहां किसानों की खुशहाली के अध्याय लिखे जा सकते हैं, वहीं व्यापार घाटे में कमी के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की कमाई का नया परिदृश्य निर्मित किया जा सकता है।

भारत का डब्ल्यूटीओ में विवादित मुद्दे

- संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की प्रमुख शिकायत यह है कि भारत सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों के समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। यूएसटीआर का तर्क यह है कि भारत की उपरोक्त पाँच निर्यात संवर्द्धन योजनाएँ, एससीएम समझौते के प्रावधान 3.1 (ए) और 3.2 का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रावधान निर्यात सब्सिडी देने पर रोक लगाते हैं।
- विदित हो कि 2015 तक भारत को निर्यात सब्सिडी का उपयोग करने की मनाही नहीं थी क्योंकि भारत इस समझौते की अनुसूची-VII में शामिल 20 विकासशील देशों में सम्मिलित था। अनुसूची-VII में उन देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें तब तक सब्सिडी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जब तक की लगातार तीन वर्षों तक उनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 डॉलर की सीमा को पार नहीं कर जाता है।
- अनुसूची VII का यह प्रावधान विकासशील देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के लिये लाए गए विशेष प्रावधानों का अपवाद था। इस प्रावधान को विशेष और विभेदीकृत उपचार के तौर पर जाना जाता है। अनुसूची VII में शामिल विकासशील देशों को छोड़कर, अन्य सभी विकासशील देशों को निर्यात सब्सिडी को खत्म करने के लिये 1995 के विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने से 8 साल की अवधि तक की अनुमति दी गई थी।
- विश्व व्यापार संगठन सचिवालय ने 2017 में की गई अपनी गणना में पाया कि भारत 2015 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) 1000 डॉलर की सीमा को पार कर गया था।

यूएसटीआर ने इस संदर्भ में भारत की 5 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं (निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजनाएँ व क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ) का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं-

1. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना
2. भारत से मर्केंडाइज निर्यात के लिये योजना।
3. निर्यात संवर्द्धन कैपिटल गुड्स संबंधी योजना।
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र।
5. शुल्क मुक्त आयात अधिकार-पत्र योजना।

चुनौतियाँ

- विदेशी व्यापार के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में देश से निर्यात में कमी आई है। वहीं व्यापार घाटा पिछले पाँच वर्षों के उच्चतम स्तर पर है।
- चूंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है अतएव आगामी वर्ष में व्यापार घाटा और बढ़ने का अंदेशा है।
- देश में निर्यात से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तु, परिष्कृत हीरे और चमड़े की वस्तुएँ आदि उद्योगों को भी निर्यात मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

- चूंकि देश के लिए करीब 115 अरब डॉलर की सालाना विदेशी मुद्रा कमाने वाले आईटी सेवा उद्योग की आधे से अधिक आमदनी अमेरिका को सॉफ्टवेयर निर्यात से होती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये ने इस क्षेत्र में चिंताएँ बढ़ाई हैं।
- मगर खाद्य का जो लक्ष्य रखा गया है, वह चुनौतीपूर्ण है। कृषि निर्यात के इस ऊँचे लक्ष्य के समक्ष चुनौती इसलिए भी है, क्योंकि विगत 15 मार्च को अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के द्वारा दी जा रही निर्यात सब्सिडी को रोकने हेतु आवेदन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में भारत कमजोर पड़ सकता है।
- इसके अलावा भारत के खाद्य निर्यात कई अन्य देशों से महंगे भी दिखाई देते हैं। चूंकि विभिन्न निर्यातों में कृषि निर्यात सबसे जोखिम भरे होते हैं।
- सबसे बड़ी चुनौती अपर्याप्त परिवहन और भंडारण क्षमता के कारण खेत से खाद्य वस्तुएँ, निर्यात बाजारों और कारखानों से प्रसंस्कृत वस्तुएँ विदेशी उपभोक्ता तक पहुँचने में बहुत अधिक नुकसान होने से संबंधित हैं।
- विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए कृषि व्यापार संबंधी कड़े तकनीकी अवरोधकों के कारण भी भारतीय खाद्य निर्यात की क्षमता प्रतिबंधित हुई है।
- निर्यात की जा रही कृषि मदों पर गैर-शुल्क बाधाएं, खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में खाद्य उत्पादों के निर्यात में बड़े अवरोधक बने हुए हैं।
- कपास, चीनी और चावल के लिये स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक है, जो भारत के कृषि निर्यात बास्केट के प्रमुख घटक हैं।
- घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिये सरकार महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाती है जो कि अनुचित है इस प्रकार की नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसानों को उच्च कीमतें प्राप्त करने से वंचित करती है। साथ ही आय अनिश्चितता का एक तत्त्व भी इससे जुड़ा होता है।
- देश में प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिये हमें प्रभावी कोल्ड चेन की आवश्यकता है। यदि निर्यात में वृद्धि करनी है तो सरकार को बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की जरूरत है।
- कृषि उत्पादों को लागत प्रभावी बनाने के लिये कृषि वस्तुओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने की आवश्यकता है।
- कृषि निर्यात को गति देने के लिये टेक्नोलॉजी नीति, एक्जिम नीति, मूल्य नीति तथा अन्य गैर-मूल्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी स्पष्ट निर्यात नीति का अभाव।

आगे की राह

- अतएव समाधान के लिए रणनीतिक कदम जरूरी होंगे। चूंकि कृषि निर्यात ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके जरिए बिना महंगाई के रोजगार और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसलिए देश से कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कई और जरूरतों पर ध्यान दिया जाना होगा।
- कृषि निर्यातकों के हित में मानकों में बदलाव किया जाए, जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूँजी आसानी से प्राप्त हो सके।
- सरकार के द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा-कर जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना होगा।
- सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चिह्नित फूड पार्क विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं, शोध सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, विकास केंद्रों और परिवहन लिंकेज को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।
- यह भी जरूरी है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पृथक-पृथक राज्य निर्यात नीति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए पिछले दिनों नई कृषि निर्यात नीति के मसौदे के तहत जो रियायतें व प्रोत्साहन घोषित किए हैं वे सुविधाएँ एवं रियायतें कारगर तरीके से कृषि निर्यातकों तक पहुँचाने की जरूरत है।
- पहला बदलाव जो आवश्यक है वह है मनोदशा से संबंधित। उपभोक्ताओं द्वारा किसानों का समर्थन करने के लिये बाजार की कीमतों को दबाने के बजाय, सरकार को लक्षित बिना शर्त आय हस्तांतरण के जरिये उनकी रक्षा करनी चाहिये।
- दूसरा, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते समय नीति निर्माताओं को कृषि निर्यात का समर्थन करना चाहिये। समुद्री उत्पाद, मांस, तेल, मूँगफली, कपास, मसाले, फल और सब्जियाँ पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न नहीं करती हैं, चावल के निर्यात का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- पंजाब या हरियाणा में एक किलोग्राम चावल पैदा करने के लिये लगभग 5000 लीटर सिंचाई के लिये पानी की जरूरत होती है जिसके कारण भूमिगत जल के दोहन से भूजल तालिका में 70 से 110 सेमी/वर्ष तक भारी गिरावट आई है। इस क्षेत्र द्वारा बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात, अरबों घन मीटर पानी के निर्यात के समान है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका धीरे-धीरे बिजली और सिंचाई सब्सिडी को चरणबद्ध करना होगा।
- तीसरा, सरकार को कुशल वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकसित करनी होगी और सभी राज्यों में भूमि पट्टा बाजार को उदार बनाना होगा। इसे अनुबंध-कृषि के माध्यम से दीर्घकालिक आधार पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- निर्यातक और प्रोसेसर को किसान-उत्पादक संगठनों (FPO) से सीधे खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। निजी क्षेत्र ऐसे मूल्य श्रृंखला बनाने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसे संस्थागत सुधारों द्वारा सक्षम किया जाना चाहिये। इन निवेशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव हो सकता है।
- इनमें से अधिकतर सुधार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि सरकार इन सुझावों को अमल में लाती है, तो कृषि निर्यात बढ़ेगा और ऐसे में किसानों की आय भी बढ़ेगी।
- लेकिन 2022-23 तक 60 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सुधार कितने व्यापक हैं और इनका कार्यान्वयन कितना कुशलतापूर्वक किया जाता है। अब तक सरकार का रिकॉर्ड बहुत ही आशाजनक नहीं रहा है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

7. बायोसिमिलरः स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता हुआ अवसर

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रमुख घरेलू फार्मा कंपनी ल्युपिन ने जापान में उसकी इंट्रासेप्ट बायोसिमिलर दवा के वितरण, संवर्द्धन एवं बिक्री के लिए वहाँ की कंपनी 'निचि-इको' के साथ समझौता किया है। जापान में इस दवा की बिक्री के लिए अभी लाइसेंस लेने का काम बाकी है। ल्युपिन के अनुसार निचि-इको की ईकाई क्योवा ने मार्च में जापान के नियामक फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी के पास इसके लिए आवेदन किया था। दवा का वैश्विक क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। इसके तहत 11 देशों में 500 मरीजों पर परीक्षण किया गया।

दूसरी ओर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बायोसिमिलर के रूप में एक दवा को मंजूरी दी है। अमेरिकी एफडीए के इस निर्णय से भारत में ब्रेस्ट कैंसर की इस दवा की कीमत में कमी आएगी, इससे लोग आसानी से दवाई खरीद सकेंगे।

बायोसिमिलर क्या है?

बायोसिमिलर्स लिविंग सेल्स पर आधारित कॉम्प्लेक्स दवाओं की कॉपी होती है। ये दवाएँ केमिकल-बेस्ड जेनेरिक दवाओं से अलग होती हैं। केमिकल-बेस्ड जेनेरिक दवाएं ओरिजिनल दवा में इस्तेमाल किए गए कंपाउंड के 'समान' होती हैं। बायोसिमिलर दवा को समझने के लिए, सर्वप्रथम जैविक दवाओं के बारे में जानना जरूरी है। जैविक दवा रसायनों से नहीं बनाई जाती हैं। जैविक दवाएँ सूक्ष्म जीवों (जैसे- जीवाणु, यीस्ट), कोशिका अथवा उत्तक से बनायी जाती हैं।

बायोसिमिलर दवाओं का महत्व

वर्तमान में बायोसिमिलर दवाओं को अनेक देश मंजूरी दे रहे हैं ताकि प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिले और हेल्थकेयर की लागत में कमी आए। यह एक सही कदम है, क्योंकि इससे बड़ी बिमारियों की दवा सस्ते में उपलब्ध हो सकेगी।

बायोसिमिलर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

- बायोसिमिलर्स को इसकी मूल दवा की तरह प्रत्येक स्तर पर अनेक परीक्षणों से गुजरना नहीं पड़ता है।
- बायोसिमिलर्स के विकास/परीक्षण के लिए केवल दिशानिर्देश की जरूरत होती है।
- बायोसिमिलर्स में तुलनात्मक गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता होनी चाहिए।
- प्रत्येक बायोसिमिलर उत्पादक भिन्न-भिन्न होता है और उन्हें स्वयं में एक ब्रांड माना जाना चाहिए।

मायलन और बायोकॉन

अमेरिकी दवा कंपनी मायलन और बेंगलुरु की कंपनी बायोकॉन की लगभग एक दशक पुरानी साझेदारी के सामने आ रही दिक्कतें अब खत्म हो गयी हैं। अमेरिकी एफडीए ने बायोसिमिलर दवा ट्रैस्टिजमाब को मार्केटिंग अप्रूवल दे दिया, जिससे उसकी लॉन्चिंग को लेकर चल रही कयासबाजी बंद हो गई है। ओगिवरी ब्रांड नेम वाली यह दवा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली स्विस दवा कंपनी रोश की ब्लॉकबस्टर दवा का वर्जन है।

बायोसिमिलर दवाओं का असर इनोवेटर वर्जन जैसा ही होता है। दुनियाभर में हर साल 3.16 अरब डॉलर की सेल्स वाली ट्रैस्टिजमाब की बिक्री 2020 तक 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी एफडीए के अप्रूवल से मायलन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी क्योंकि उसके पास अमेरिका में यह दवा बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जबकि बायोकॉन की कॉम्प्लेक्स दवाओं के बाजार में पैर जमाने का सपना सच होने जैसा होगा।

बायोकॉन मायलन की बायोसिमिलर दवा को मंजूरी अमेरिकी एफडीए के ओंकोलॉजी ड्रग्स एडवाइजरी कमेटी की ओरिजनल प्रॉडक्ट के बायोसिमिलर के हक में 16-0 मतों से फैसला आने के चार महीने बाद मिली थी। बायोकॉन ने अपना प्रपोज्ड बायोसिमिलर अमेरिका दवा कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया था। एफडीए बड़ी संख्या में बायोसिमिलर दवाओं को मंजूरी दे रहा है जिससे कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिले और हेल्थकेयर की लागत में कमी आए।

'गाइडलाइंस ऑन सिमिलर बायोलॉजिक्स 2016'

- सरकार ने बायोसिमिलर्स के नाम वाली अफोर्डेबल बायोटेक्नोलॉजी-बेस्ड दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इनके अप्रूवल के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जहाँ एक ओर कुछ मल्टीनेशनल फार्मास्युटिकल कंपनियों ने आशंका जताई है कि इस कदम से मरीजों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकार रखने वाली कई संस्थाएँ इसको एक अच्छा कदम मानती आईं हैं।
- 'गाइडलाइंस ऑन सिमिलर बायोलॉजिक्स 2016' के ड्राफ्ट को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) की ओर से तैयार किया गया है।
- लोकल बायोसिमिलर कंपनियां इन दिशा-निर्देशों को लेकर सकारात्मक हैं क्योंकि इनमें अप्रूवल की टाइमलाइन को आधे से कम करने का एक महत्वपूर्ण प्रोवजिन शामिल है।
- रिवाइज्ड दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बायोसिमिलर दवाओं के अप्रूवल में लगने वाला समय औसतन 990 दिनों से घटकर 424 दिन का हो जाएगा।
- लोकल बायोटेक कंपनियों के संगठन एसोसिएशन ऑफ बायोटेक-लेड एंटरप्राइसेज का कहना है कि इस गाइडलाइंस से अप्रूवल के प्रोसिजर को लेकर और स्पष्टता आएगी और इसके साथ ही ऊंचे सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इस ड्राफ्ट में विभिन्न चरणों में ट्रायल और स्टडीज के लिए मरीजों की न्यूमतम संख्या तय की गई है, जो 2012 की गाइडलाइंस में स्पष्ट नहीं थी।
- ड्राफ्ट में कहा गया है कि अप्रूवल के बाद कंपनियों को मार्केटेड दवा का दो वर्ष से अधिक डेटा यह साबित करने के लिए देना होगा कि यह बड़ी संख्या में मरीजों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है।
- इस नई गाइडलाइंस में विशेष स्टडीज के लिए कुछ ट्रायल में छूट देने या मरीजों की संख्या कम करने के प्रोविजंस के लिए भी शर्तें स्पष्ट की गई हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक, 'अगर कोई फर्म प्रपोज्ड समान बायोलॉजिक दवा पर 100 से अधिक मरीजों के साथ प्री-अप्रूवल स्टडी करती है तो उसके मुताबिक फेज 4 की स्टडी में मरीजों की संख्या घटाई जा सकती है जिससे सेफ्टी डेटा (फेज 3 और 4 दोनों से) कम से कम 300 मरीजों से जुड़ा हो जिनका उपचार समान बायोलॉजिक्स से हुआ है।'

बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाओं में अंतर

बायोसिमिलर	जेनेरिक
जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होता है।	रासायनिक संश्लेषण के उपयोग से उत्पादित
परिवर्तित उत्पादन प्रक्रिया में महंगे और प्रजनन के लिए विशेष उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करना काफी मुश्किल है।	उत्पादन प्रक्रिया के बदलाव में कम संवेदनशीलता
फार्माकोविजिलेंस और आवधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।	प्रजनन क्षमता केवल चरण 1 का अध्ययन करने में आसान है।
यूरोप (ईएमईए) द्वारा परिभाषित 'समानता' नियामक मार्ग के प्रदर्शन करने की आवश्यकता	अनुमोदन के लिए कम समय
कोई स्वचालित प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है।	जैवसमानता दिखाने की जरूरत है, यूरोप और यूएस में लघु पंजीकरण प्रक्रियाओं को स्वचालित प्रतिस्थापन की अनुमति है।

वर्तमान स्थिति

बायोसिमिलर, बायोफार्मास्यूटिकल उत्पाद का एक नया संस्करण है जिन्हें पेटेंट की समाप्ति के बाद विपणन किया जाता है। यह बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास के नये अवसरों के रूप में प्रमुखता से उभरा है।

पिछले कुछ वर्षों से, बायोसिमिलर्स की माँग जिस प्रकार से बढ़ी है, उसे ध्यान में रखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को मुख्यत: रसायन, विनिर्माण और नियंत्रण (सीएमसी) पर निवेश करने की जरूरत है, जिससे मूल प्रति के समतुल्य उत्पादन बढ़ाया जा सके। भारतीय दवा कंपनियों ने पहले से ही बायोसिमिलर्स पर कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत ने बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में उभरते अवसर को ध्यान में रखते हुए अपना कदम बढ़ा दिया है। लगभग सभी प्रमुख भारतीय दवा निर्माताओं ने योजनाओं एवं उत्पाद की पहचान की है और एक मजबूत उत्पाद विकसित करने के लिए अलग से बजट भी घोषित किया है। साथ हीं कुछ कंपनियों ने उन्हें बाजार में लाना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज ने उभरते बाजारों में अपने कुछ महत्वपूर्ण बायोसिमिलर्स लॉन्च किए हैं। दूसरी ओर सिपला जैसी कंपनियाँ बोयोसिमिलर के क्षेत्र में विनिर्माण सुविधाओं और संभावित उत्पाद को हासिल करने के लिए भारत तथा विदेशों में भारी निवेश कर रही हैं।

लाभ

- भारत में विनियामक आवश्यकताएँ विपणन प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है ताकि भारतीय विनिर्माण कंपनियाँ वैश्विक जीएमपी (गूड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस) नियमों के अनुसार बायोसिमिलर्स का निर्माण कर सकें और अमेरिका जैसे विश्व के बाजारों में प्रवेश कर सकें।
- भारत सरकार ने बायोसिमिलर्स को देश में विनियमित करने के तरीके को व्यवस्थित करने के लिए अनेक पहल भी की हैं, जिससे भारत को बायोसिमिलर के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में परिभाषित किया जा सके।
- इनमें से लागू मार्गदर्शन दस्तावेजों का प्रसार भी शामिल है: जैसे- जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण के बिल का मसौदा तैयार करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना आदि। इससे देशी और विदेशी बाजारों में मरीजों के लिए सस्ती बायोसिमिलर दवाएँ उपलब्ध हो पाएंगी।

आगे की राह

यद्यपि बायोसिमिलर को बढ़ावा देने से अनेक असाध्य बिमारियों के इलाज-खर्च में कमी आएगी जो सामान्यत: काफी महँगा होता है। फिर भी हमें यह ध्यान देना होगा कि इसका विकास एक व्यापक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। साथ ही यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है जिसे अनेक सरकारी नियम एवं शर्तो से होकर गुजरना पड़ता है। अत: सरकार को इसकी लम्बी प्रक्रिया को आसान करने पर बल देना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि बायोसिमिलर्स उत्पाद के विकास का सभी स्तरों पर मूल प्रति के साथ तुलना किया जाए, जिसमें भौतिक-रासायनिक गुण, जैविक गतिविधि, सुरक्षा तथा प्रभावोत्पादकता भी शामिल हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

विधि आयोग की अनुशंसाएँः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में विधि आयोग की अनुशंसाओं का सविस्तार विश्लेषण कीजिए। साथ हीं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिवार कानून में सुधार हेतु परामर्श पत्र
- लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश
- राजद्रोह के संबंध में परामर्श पत्र
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

हाल ही में विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार', 'लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने' तथा 'राजद्रोह के संबंध' में एक परामर्श पत्र जारी किया है।

परिवार कानून में सुधार हेतु परामर्श पत्र

विधि आयोग ने पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मौजूदा हालात में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं और उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत है।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश

- विधि आयोग ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। विधि आयोग ने इसके लिए संविधान में चुनाव संबंधी कानून में संशोधन की सिफारिश की है।

राजद्रोह के संबंध में परामर्श पत्र

- देश की आलोचना या गाली देने या फिर इसके एक खास पहलू को देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। यह आरोप केवल तभी लगाया जा सकता है जब सरकार को हिंसा और गैरकानूनी तरीकों से उखाड़ फेंकने का इरादा हो। यह टिप्पणी विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक परामर्श पत्र में की।

निष्कर्ष

- विधि आयोग की अनुशंसाओं पर गौर करने की आवश्यकता है जिससे कि समान नागरिक संहिता, लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश तथा राजद्रोह के संबंध में दिए गये परामर्श पत्र पर अमल किया जा सके। ■

बढ़ती आबादीः वरदान या अभिशाप

प्र. जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि आज भारत के समक्ष सर्वप्रमुख चुनौतियों में से एक है। भारत इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में किस प्रकार तब्दील कर सकता है? उपयुक्त सुझाव दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- प्रमुख चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक दुनिया की 68 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगेगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता के पश्चात से ही जब भी देश में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू होता है, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस प्रकार होती है जैसे उनका हक छीना जा रहा हो। कुछ लोग इतने असहिष्णु हो जाते हैं जैसे कि उनके निजी जीवन पर हमला किया जा रहा हो। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की समस्या इन सभी तर्कों से ऊपर है।

वर्तमान परिदृश्य

- देश की आजादी के समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं वर्तमान में देश की आबादी लगभग 1 अरब 25 करोड़ है।
- 2050 तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा।
- 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।
- भारत में जनसंख्या बढोतरी की वृद्धि दर 1.4 फीसदी रही।
- चीन में जनसंख्या बढ़ोतरी की वृद्धि दर 0.6 फीसदी रही।
- भारत की प्रजनन दर 2.3 फीसदी है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- देश की जनसंख्या अनियंत्रित रूप से इसी तरह बढ़ती रही तो, आने वाले समय में शहरों में गाड़ी चलाने के लिए सड़क, पीने के लिए पानी और साँस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलनी मुश्किल हो जाएगी।

आगे की राह

- वर्ष 2030 तक दस करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसके लिए इतने दक्ष युवा तैयार करना भी एक चुनौती होगी। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है कि लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाय, जिससे लोग बीमारी और बेरोजगारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में दूसरों पर निर्भर न रहें। ■

भारत में आदिवासी स्वास्थ्य की जाँच रिपोर्ट

प्र. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है और इनमें इतना अंतर क्यों हैं? इस अंतर को पाटने के लिए भविष्य में क्या रोडमैप होना चाहिए? उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- समिति का गठन क्यों?
- क्या है समिति की रिपोर्ट?
- आदिवासियों की वर्तमान स्थिति
- संवैधानिक तथा अन्य प्रावधान
- समिति का सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत में आदिवासी/जनजातीय स्वास्थ्य पर जरी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासीयों के स्वास्थ्य पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रशित धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता है।
- ज्ञात हो कि एनजीओ 'सर्च' (गडचिरोली) के अध्यक्ष डॉ. अभय बैंग की अध्यक्षता में आदिवासी स्वास्थ्य पर 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन वर्ष 2013 में किया गया था।

समिति का गठन क्यों?

- जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (104 मिलियन) में अधिक होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय गरीबी, खराब स्वास्थ्य तथा बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहा है।
- आदिवासी लोगों की समस्याएँ एवं उनकी जरूरतें भी अन्य लोगों की तरह समान ही है इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल का एक समान राष्ट्रीय खाका उनके लिए भी लागू होना चाहिए।

क्या है समिति की रिपोर्ट?

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासियों के स्वास्थ्य से संबंधित 10 समस्याओं की पहचान की है जो निम्न हैं: 1. जीवन प्रत्याशा, 2. प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य तथ किशोरावस्था, 3. बीमारियों का बोझ 4. संक्रामक रोग 5. गैर संक्रामक रोग 6. आनुवांशिक विकार 7. पोषण 8. मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यसन 9. आदिवासी क्षेत्रों में पशु हमले और हिंसा 10. जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की मांग।

आदिवासियों की वर्तमान स्थिति

- जनसंख्या की दृष्टि से आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश (15 मिलियन) में सबसे ज्यादा है उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं।
- जनजातीयों की वर्तमान स्थिति में जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, सुविधाओं तक पहुँच, शिक्षा आदि को दर्शाएं।

संवैधानिक तथा अन्य प्रावधान

- भारत के संविधान ने आदिवासियों के लिए दो पृथक-पृथक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ बनाई है ये हैं पांचवी तथा छठवीं अनुसूचि।
- 1999 में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय मामलों का एक अलग मंत्रालय बनाया गया।

समिति का सुझाव

- जनजातीय समुदायों के विकास के लिए समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं- न्याय और जिम्मेदारी, उपयुक्तता, स्वायत्तता, विकेन्द्रीकृत योजना और प्रशासन, स्वीकार्यता एवं संस्कृति संवेदनशीलता, सार्वभौमिकता, पहुँच, पर्याप्तता, सरकारी प्रयासों का एकीकरण, लचीले और गतिशील, वित्तीय संसाधन आदि की चार्च करें।

निष्कर्ष

- आदिवासी समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना और जीवन जीने का तरीका अलग है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति दयनीय है। भारत एक विविधता वाला देश है। जब तक सभी वर्गों का विकास (मुख्यरूप से आदिवासियों का) नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना करना अपने आप में बेमानी है। ■

मरीन हीट वेब्सः बिगड़ते समुद्री हालात

प्र. मैरिन हीट वेब्स (MHWs) क्या है? इसके वैश्विक प्रभावों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है मैरिन हीट वेब्स?
- मैरिन हीट वेब्स की वैश्विक घटनाएँ
- मैरिन हीट वेब्स की प्रवृत्तियों का विश्लेषण
- मैरिन हीट वेब्स के कारण
- मैरिन हीट वेब्स के प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत नये आँकड़ों के अनुसार दुनिया के सभी समुद्रों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार सेंडियागो में समुद्र के तापमान का रिकॉर्ड रखने का काम वर्ष 1916 से प्रारंभ किया गया था।

क्या है मैरिन हीट वेब्स?

- मैरिन हीट वेब्स समुद्री सतह की वह चरम अवस्था है जिसका प्रभाव कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है। साथ ही इसका विस्तार हजारों किमी. तक होता है।

मैरिन हीट वेब्स की वैश्विक घटनाएँ

- वर्ष 2003 में भूमध्य सागर का तापमान सामान्य तापमान से 4°C अधिक पाया गया ये स्थिति लगभग 30 दिनों तक बनी रही।
- वर्ष 2012 में उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 2½°C अधिक रहा जो 56 दिनों तक बना रहा।

मैरिन हीट वेब्स की प्रवृत्तियों का विश्लेषण

- वर्ष 1982 से 2016 तक मैरिन हीट वेब्स के दिनों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें 1988 के बाद तीव्रता देखी गई है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार 1925 से 1954 और 1987 से 2016 के बीच मैरिन हीट वेब्स की बारंबारता में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैरिन हीट वेब्स के कारण

- आज मैरिन हीट वेब्स का 87 प्रतिशत कारण मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग है।
- मैरिन हीट वेब्स के मुख्यत: दो कारण हैं पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण।

मैरिन हीट वेब्स के प्रभाव

- वैज्ञानिक आँकड़ों के मुताबिक 1982 से 2016 के बीच समुद्र में गर्म लहर चलने की घटनाएँ लगभग दोगुनी हो गई है।
- वर्ष 2016 और 2017 में मैरिन हीट वेब्स की वजह से पूर्वी आस्ट्रेलिया के कोरल रीफ का आधा से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया है।

आगे की राह

- रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से मैरिन हीट वेब्स के पूर्व संकेतकों का अनुसरण कर इस घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा इससे निपटने की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सकता है।
- इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, व्यापारिक गतिविधियों में कमी तथा समुद्र में तेल व गैस के रिसाव को रोककर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। ■

बिम्सटेक की क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ती प्रासंगिकता

प्र. हाल ही में बिम्सटेक (BIMSTEC) सम्मेलन नेपाल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय "शांत, संपन्न और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र था।" इस कथन के संदर्भ में बिम्सटेक की बढ़ती प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- काठमाण्डु घोषणापत्र
- भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व
- बिम्सटेक तथा अन्य देश
- बिम्सटेक की आवश्यकता क्यों?
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की अध्यक्षता में बिम्सटेक का दो दिवसीय सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडु में संपन्न हुआ।
- बिम्सटेक के चौथे सम्मेलन का विषय 'शांत, संपन्न और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' था।

पृष्ठभूमि

- बिम्सटेक का गठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के बाद किया गया।
- 31 जुलाई, 2004 को बैंकॉक में आयोजित इसके प्रथम सम्मेलन में इसका नाम बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative of Multisectoral Technical and Economic Cooperation) रखा गया।

काठमाण्डु घोषणापत्र

- बिम्सटेक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के बीच कनेक्टीविटी, व्यापार डिजिटल और जनता के बीच जुड़ाव जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
- नालंदा विश्वविद्यालय में सालाना 30 स्कॉलरशिप तथा एडवांस मेडिसिन में 12 रिसर्च फेलोशिप।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- दुनिया की लगभग 22 फीसदी आबादी बिम्सटेक देशों में रहती है जिनकी संयुक्त जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है।
- भारत का 50% व्यापार अब पश्चिमी देशों से न होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से ही होता है।

बिम्सटेक तथा अन्य देश

- बिम्सटेक के माध्यम से बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में खुद को छोटे देश से ज्यादा महत्व के रूप में देखता है।
- म्यांमार और थाईलैण्ड को इसके जरिए बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और भारत के साथ व्यापार करने के नए अवसर मिलेंगे।

बिम्सटेक की आवश्यकता क्यों?

- बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु की तरह काम करता है।
- जहाँ तक सार्क के ठोस कदम उठाने का प्रश्न है तो पाकिस्तान के असहयोग और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में बिम्सटेक देशों में अंतर्क्रियात्मक सहयोग की रफ्तार बहुत धीमी है।

- बिम्सटेक देशों में भारत का निवेश तथा पहुँच सीमित होने के साथ-साथ बिम्सटेक में नेतृत्व क्षमता की कमी है।

आगे की राह

- बिम्सटेक सचिवालय को सार्क तथा आसियान जैसे अन्य संगठनों की तरह पहुँच बढ़ाने की जरूरत है।
- चूंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है ऐसे में भारत को दक्षिण या दक्षिण पूर्व के देशों को अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहिए साथ ही चीन को इस क्षेत्र में रोकने के लिए भारत को निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। ■

नई कृषि निर्यात नीतिः एक परिचय

प्र. ''हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नई कृषि निर्यात नीति' को जल्द लागू किए जाने की घोषणा की'' इस कथन के संदर्भ में 'नई कृषि निर्यात नीति' की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है नई कृषि निर्यात नीति?
- वर्तमान परिदृश्य
- नई कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता क्यों?
- भारत का डब्ल्यूटीओ में विवादित मुद्दे
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'नई कृषि निर्यात नीति' को जल्द लागू किये जाने की घोषणा की।
- प्रस्तावित नई राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति में, कृषि निर्यात को दोगुना (60 अरब डॉलर) करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्या है नई कृषि निर्यात नीति?

- नई कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत स्थिर कारोबारी नीति को बढ़ावा, एपीएमसी अधिनियम में सुधार, मंडी शुल्क को व्यवस्थित करने और पट्टे पर जमीन देने के नियम को उदार बनाया जाएगा।
- इस नीति के माध्यम से वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने और ऐसे 10 प्रमुख देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जो कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- देश में 6.8 करोड़ टन गेहूँ और चावल का भंडार है जो जरूरी बफर स्टॉक के मानक से दो गुना है।
- भारत दुनिया में कृषि उत्पादों के 15 प्रमुख निर्यातकों में से एक है, यह देश में चावल, मांस, मसाले, कच्चा कपास और चीनी जैसे-कुछ कृषि वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरा है।

नई कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता क्यों?

- विदित हो कि बीते तीन वर्षों में कृषि निर्यात लगातार कम हुआ है। वर्ष 2013-14 के 42.9 अरब डॉलर से घटकर यह वर्ष 2016-17 में 33.4 अरब डॉलर रह गया है।
- भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से कृषि निर्यात में चमकीली संभावनाएँ देखते हुए उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है।

भारत का डब्ल्यूटीओ में विवादित मुद्दे

- यूएसटीआर की प्रमुख शिकायत यह है कि भारत सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों के समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है।
- विश्व व्यापार संगठन सचिवालय ने 2017 में की गई अपनी गणना में पाया कि भारत 2015 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 की सीमा को पार कर गया था।

चुनौतियाँ

- सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए चिह्नित फूड पार्क, विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं, शोध सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, विकास केंद्रों और परिवहन लिंकेज को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।
- यह भी जरूरी है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पृथक-पृथक राज्य निर्यात नीति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। ■

बायोसिमिलरः स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता हुआ अवसर

प्र. बायोसिमिलर क्या है? लागत को कम करने तथा उभरते बाजारों और मरीजों के जीवन में यह किस प्रकार मूल्यवान साबित हो सकता है? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है?
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रमुख घरेलु फार्मा कंपनी ल्युपिन ने जापान में उसकी इंट्रासेप्ट बायोसिमिलर दवा के वितरण, संवर्द्धन एवं बिक्री के लिए वहाँ की कंपनी 'निचि-इको' के साथ समझौता किया है।

क्या है?

- बायोसिमिलर्स लिविंग सेल्स पर आधारित कॉम्प्लेक्स दवाओं की कॉपी होती हैं। ये केमिकल-बेस्ड जेनेरिक दवाओं से अलग होती हैं। केमिकल-बेस्ड जेनेरिक दवाएं ओरिजिनल दवा में इस्तेमाल किए गए कंपाउंड के 'समान' होती हैं।

वर्तमान स्थिति

- बायोसिमिलर, बायोफार्मास्यूटिकल उत्पाद का एक नया संस्करण है, जिन्हें पेटेंट की समाप्ति के बाद विपणन किया जाता है। यह

बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तीव्रता से बढ़ रहे विकास के अवसरों में से एक के रूप में उभरा है।

आगे की राह

- यद्यपि बायोसिमिलर को बढ़ावा देने से अनेक असाध्य बिमारियों जिनका इलाज सामन्यतः काफी महँगा होता है, उसमें कमी आयेगी फिर भी हमें यह ध्यान देना होगा कि इसका विकास एक व्यापक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। साथ ही यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है जिसे लम्बी सरकारी नियम एवं शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अतः हमें इसकी लम्बी प्रक्रिया को आसान करने पर बल देना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि बायोसिमिलर्स उत्पाद के विकास का सभी स्तरों पर मूल प्रति के साथ तुलना किया जाए, जिसमें भौतिक-रासायनिक गुण, जैविक गतिविधि, सुरक्षा तथा प्रभावोत्पादकता भी शामिल हैं। ■

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने हाल ही में 13 नवीनतम उच्च कोटि के जहाज की रूपांकनों को सार्वजनिक कर दिया है जो गंगा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 1) पर चालन के लिए उपयुक्त हैं।

जहाजों के नए रूपांकनों के लाभ

- इन रूपांकनों के अनुसार निर्मित जहाज कम जल में भारी वाहन क्षमता के साथ चलाये जा सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन रुपाकनों का प्रयोग कर जहाज निर्माण उद्योग प्रत्येक जहाज पर 30 से 50 लाख रुपयों की बचत कर सकता है।
- नए रूपांकित जहाजों पर ईंधन का खर्चा भी कम आएगा जिसके चलते माल ढुलाई की लागत कम आएगी।
- ये जहाज 2 मीटर की गहराई वाले पानी में भी 350 कारों का वहन करते हुए चल सकते हैं। कुछ जहाज ऐसे भी होंगे जो 2500 टन माल उठा सकते हैं। इस प्रकार 150 ट्रकों और रेलगाड़ी के एक पूरे रैक का काम एक अकेला जहाज कर सकता है। इसके कारण जमीनी यातायात पर दबाव कम हो जाएगा।
- नए रूपांकनों का प्रयोग से भारतीय जहाज निर्माताओं की विदेशी जहाज रूपांकनों पर निर्भरता को दूर कर देगा और इस प्रकार मेक इन इंडिया भारतीय जहाज उद्योग को दृढ़ता प्रदान करेगा।

जलमार्ग विकास परियोजना

- केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर कम से कम 1500 टन के जहाजों के वाणिज्यिक नौकायन को संभव बनाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना को आरंभ किया है।
- परियोजना में गंगा नदी पर इलाहाबाद और हल्दिया (NW-1) के बीच में जलमार्ग के विकास की परिकल्पना की गई है।
- इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
- जल मार्ग विकास परियोजना को केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और जहाजरानी एवं जल संसाधन मंत्रालय संचालित करेंगे।

IWAI

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) एक वैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में जलमार्ग का काम देखता है।
- इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थित है।
- यह जलमार्गों में आवश्यक निर्माण कार्य करता है तथा साथ ही नई परियोजनाएँ आर्थिक रूप से हाँथ में लेने लायक हैं या नहीं इसकी जाँच करता है।

गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली, जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच स्थित है, को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। यह जलमार्ग जिन राज्यों से होकर जाता है, वे हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।■

2. ई-फार्मेसी का नया प्रारूप

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ई-फार्मेसियों द्वारा दवाओं की बिक्री के विषय में एक अधिसूचना का प्रारूप निर्गत किया है। प्रस्तावित अधिसूचना के द्वारा दवा एवं प्रसाधन नियम (Drugs and Cosmetics Rules) का संशोधन किया जाएगा जिससे फार्मेसियों का पंजीकरणकरण एवं उनके कार्यों का अनुश्रवण हो सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन का महत्त्व

- नए नियम के द्वारा अंतिम सूचना के निर्गत होने की तिथि से 3000 करोड़ रु. वाले ऑनलाइन फार्मा व्यवसाय को नियंत्रित किया जायेगा।
- नियम के माध्यम से यह सुनश्चित किया जाएगा कि भारत भर में लोगों को दवाएँ उपलब्ध हो सकें।
- नियम बन जाने के बाद लोग ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से असली दवाएँ पाने में समर्थ होंगे।

प्रारूप के मुख्य तथ्य

- सभी ई-फार्मेसियों को केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation) में पंजीकरणकृत होना होगा।
- ये दवाएँ ऑनलाइन नहीं बिक सकेंगी- साइकोट्रॉपिक पदार्थ, कफ सिरप और नींद की गोलियों जैसी दवाएँ जो आदत बन जाती हैं तथा अनुसूची X की दवाएँ।
- पंजीकरणकरण के साथ-साथ ई-फार्मेसियों को दवाओं को ऑनलाइन बेचने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा।

रोगी के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसे केवल सरकार को ही दी जाएगी। ■

3. सुप्रीम कोर्ट का धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 06 सितम्बर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले पर सुनवाई की।

मुख्य तथ्य

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बेंच ने माना कि समलैंगिकता अपराध नहीं है।
- संविधान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि LGBT समुदाय को भी अन्य नागरिकों की तरह जीने का हक है। उन्हें भी दूसरे लोगों के समान ही तमाम अधिकार प्राप्त हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने से इनकार कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 अतार्किक, मनमाना और समझ से बाहर है क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के समानता के अधिकारों पर रोक लगाती है। निजता का अधिकार जो कि जीवन के अधिकार में समाहित है, यह एलजीबीटी समुदाय पर भी लागू होता है।
- पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमें पुरानी धारणाओं को बदलने की जरूरत है। नैतिकता की आड़ में किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की व्याख्या पर आधारित है, अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार) के तहत दिया गया हैं।

आईपीसी की धारा 377

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और यह गैर जमानती है।

जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट के फैसले

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान ने 17 जुलाई 2018 को धारा-377 की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह साफ किया था कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा था कि यह दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध तक ही सीमित रहेगा। पीठ ने कहा कि अगर धारा-377 को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा तो आरजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम सिर्फ दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए सेक्सुअल संबंध पर विचार कर रहे हैं। यहां सहमति ही अहम बिन्दु है। पहले याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए कुछ और समय का अनुरोध करने वाली केन्द्र सरकार ने बाद में इस दंडात्मक प्रावधान की वैधता का मुद्दा अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था।

वर्ष 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 को सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिकता को अपराध माना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया था। इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और फिलहाल पांच जजों के सामने क्यूरेटिव बेंच में मामला लंबित है।

एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या है?

एलजीबीटीक्यू समुदाय के तहत लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंटर और क्वीयर आते हैं। एक अर्से से इस समुदाय की मांग है कि उन्हें उनका हक दिया जाए और धारा 377 को वैध ठहराया जाए। निजता का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस समुदाय ने अपनी मांगों को फिर से तेज कर दिया था।

समलैंगिकता पर इन देशों में मौत की सजा

सुडान, ईरान, सऊदी अरब, यमन में समलैंगिक रिश्ता बनाने के लिए मौत की सजा दी जाती है। सोमालिया और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में भी इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। हालांकि, दुनिया में कुल 13 देश ऐसे हैं जहां गे सेक्स को लेकर मौत की सजा देने का प्रावधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर में भी मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता है। इंडोनेशिया सहित कुछ देशों में गे सेक्स के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती है। वहीं अन्य देशों में भी इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जेल की सजा दी जाती है।

समलैंगिकता इन देशों में है मान्य

बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, डेनमार्क, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा भी समलैंगिक शादियों को मान्यता दे चुका है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके विरोध में कई याचिकाएं मिलीं। आईआईटी के 20 छात्रों ने नाज फाउंडेशन के साथ मिलकर याचिका डाली थी। इसके अलावा अलग-अलग लोगों ने भी समलैंगिक संबंधों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

- सुप्रीम कोर्ट को धारा-377 के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएँ मिलीं। याचिका दायर करने वालों में सबसे पुराना नाम नाज फाउंडेशन का है, जिसने वर्ष 2001 में भी धारा-377 को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने की मांग की थी। ■

4. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में MPLAD योजना के विषय में 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई है। इस बैठक में राज्यों के उन सचिवों ने भागीदारी की जो अपने-अपने राज्य में MPLAD योजना को देखते हैं। MPLAD का full form है- Members of Parliament Local Area Development Scheme।

MPLAD योजना के क्रियान्वयन में जो बड़ी समस्या आती है वह यह है कि मंत्रालय तक जिला स्तर से आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं पहुँचते हैं, जैसे- अंकेक्षण प्रमाण पत्र (Audit Certificate), उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate), अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र (Provisional Utilization Certificate), मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Progress Report), बैंक विवरण एवं ऑनलाइन मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Bank Statement and Online Monthly Progress Report) आदि।

अप्रैल 2014 से अब तक सांसदों (लोक सभा और राज्य सभा दोनों) द्वारा 4,67,144 कार्यों की स्वीकृति माँगी गई थी। इनमें सरकार ने 4,11,612 कार्य स्वीकृत किये। 31 जुलाई, 2018 तक इनमें 3,84,260 कार्य पूरे कर लिए गये थे। जब से यह योजना शुरू हुई है तब से लेकर 31 जुलाई, 2018 तक 47,922.75 करोड़ रु. निर्गत किये गये हैं। जिला अधिकारियों द्वारा अभी तक 49,065.58 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये हैं। अभी तक इस योजना में 45604.94 करोड़ रु. उपयोग कर लिए गये हैं। दूसरे शब्दों में निर्गत राशि के 95% से अधिक का उपयोग हो चुका है।

MPLAD योजना क्या है?

- यह योजना 1993 के दिसम्बर में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य सांसदों की ओर से विकासात्मक कार्यों के लिए अनुशंसा प्राप्त कर टिकाऊ सामुदायिक संपदा का सृजन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बुनियादी सुविधाएँ (सामुदायिक संरचना निर्माण सहित) प्रदान करना था।
- इस योजना के तहत अग्रलिखित कार्यों के लिए राशि खर्च की जा सकती है- पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि। यह राशि सांसद अपने ही चुनाव क्षेत्र के लिए खर्च कर सकता है।
- MPLAD के लिए निर्गत राशि सीधे जिला अधिकारियों को अनुदान के रूप में निर्गत की जाती है। यह राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त (non-lapsablee) नहीं होती है, अपितु बाद के वर्षों में भी इसका उपयोग हो सकता है।

इस योजना में सांसदों की भूमिका एक अनुशंसक की होती है। वे अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ही कार्य करा सकते हैं, परन्तु राज्य सभा के सांसद को यह अधिकार है कि वे अपने पूरे राज्य में कहीं भी काम करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। सांसद अपनी पसंद के कार्यों की अनुशंसा जिला अधिकारियों को करते हैं और जिला अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। जिला अधिकारी ही यह देखते हैं कि प्रस्तावित कार्य करने योग्य हैं या नहीं और वे ही कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का चयन करते हैं। कौन काम पहले होगा, उसका निर्धारण भी यही करते हैं। हो रहे काम का निरीक्षण और जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन की निगरानी भी उन्हीं का काम है। ■

5. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर विरल आचार्य ने इस बात की आवश्यकता बताई कि देश में एक सार्वजनिक साख पंजीकरण होनी चाहिए जिसमें ऋण लेने वाले व्यक्तियों के आधार नंबर और फर्मों की निगम पहचान संख्या दर्ज हो।

PCR (Public Credit Registry) क्या है?

- PCR को RBI के द्वारा किसी व्यक्ति या इकाई के वित्तीय दायित्व के विषय में नवीनतम (real-time) सूचना देने के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें सम्बंधित व्यक्ति अथवा इकाई के दायित्वों का वर्णन उपलब्ध होगा।
- RBI का यह निर्णय YM देवस्थली (YM Deosthalee Committee) की अध्यक्षता में गठित कार्यदल के द्वारा इस विषय में दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में दिया गया है।
- इस पंजीकरण (registry) के निर्माण और संधारण (maintenance) के लिए RBI सभी बैंकों और ऋणदाता संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर देगा कि ऋण के जितने भी मामले हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों अथवा ऋण लेने वाले ग्राहक के किसी भी श्रेणी के हों, उन मामलों RBI को रिपोर्ट करे।

- इस पंजीकरण में भारतीय व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत में निगमि कम्पनियों (incorporated companies) द्वारा लिए गए हर ऋण का ब्यौरा दर्ज होगा।
- इस पंजीकरण का उद्देश्य संस्थानों द्वारा दिए गये ऋण के विषय में वर्तमान बिखरी हुई और अव्यवस्थित जानकारियों को इकठ्ठा करना है जिससे कि एक ही दृष्टि में भारत में लिए दिये गये ऋणों की जानकारी प्राप्त हो सके।
- इस पंजीकरण के दायरे में भारत की सरकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सभी ऋणदाता संस्थान आयेंगे, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (NBFCs), MFIs (microfinance institutions/ सूक्ष्म वित्त संस्थान)

पीसीआर (Public Credit Registry) से ऋण देने वाले संस्थानों से यह फायदा होगा कि वे दिए गए ऋणों की वसूली की स्थिति का पूर्ण निरीक्षण कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार उसे फिर से एक नया रूप दे सकेंगे। ■

6. कॉफी उत्पादकों के लिये नई योजना

भारत सरकार ने कॉफी उत्पादन से जुड़े हुए लोगों (stakeholders) के लिए दो नई पहलें आरम्भ की हैं। ये हैं-

- Coffee Connect – India coffee field force app,
- Coffee Krishi Tharanga – digital mobile extension services for coffee stakeholders।

कॉफी कनेक्ट

- यह एक मोबाइल एप है जिससे खेत में काम करने वाले व्यक्तियों का काम आसान होगा और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस app के माध्यम से अग्रलिखित कार्य होंगे- JIO tagging के साथ कॉफी उत्पादकों और बागानों का डिजिटीकरण तथा कॉफी रोपण के विवरणों का संग्रहण।
- इस app के माध्यम से एक्सटेंशन अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों में तथा सब्सिडी के भुगतान में पारदर्शिता आएगी। साथ ही नवीनतम तात्क्षणिक प्रतिवेदन बनाने में मदद मिलेगी।,

कॉफी कृषि तरंग

कॉफी कृषि तरंग परियोजना को बनाने का उद्देश्य ग्राहकानुकूल सूचना एवं सेवा प्रदान करना है जिससे कि उत्पादकता (productivity), लाभकारकता (profitability) और पर्यावरणगत सततता (environmental sustainability) में वृद्धि हो। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए NABARD ने आंशिक आर्थिक सहायता दी है। कॉफी कृषि तरंग एक मोबाइल सेवा योजना है जो ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कॉफी की खेती के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देगी और डिजिटलाइजेशन और वर्तमान मोबाइल पहुँच का प्रयोग करते हुए उन्नत तकनीक को दूर-दूर तक उपलब्ध कराएगी।

भारत में कॉफी की खेती

भारत में लगभग 3.66 लाख किसान 4.54 लाख हेक्टेयर में कॉफी की खेती करते हैं। इनमें 98% छोटे किसान हैं। कॉफी की खेती परम्परागत रूप से मात्र कर्नाटक (54%), केरल (19%) और तमिलनाडु (8%) में होती है।

- भारत में कॉफी की खेती मानसून की वर्षा पर निर्भर है। इसलिए इसे "Indian monsooned coffee" भी कहते हैं।
- भारत में कॉफी की दो प्रसिद्ध प्रजातियाँ हैं- अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका प्रजाति 17वीं शताब्दी में कर्नाटक की बाबा बुदन गिरी पहाड़ियों में सबसे पहले उगाई गई थी और पहले यह केन्ट तथा S.795 ब्रांड के नाम से बेची जाती थी।

भारतीय कॉफी बोर्ड

भारतीय कॉफी बोर्ड भारत में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित एक संगठन है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है।

- इसका गठन 1942 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत हुआ था।

इस बोर्ड के लिए निर्धारित कार्य हैं- भारत और विदेश में कॉफी की बिक्री और खपत को बढ़ावा देना, कॉफी से सम्बन्धित अनुसन्धान करना, छोटे-छोटे कॉफी उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कॉफी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना और बिक्री से बची रह गई कॉफी के अतिरिक्त भंडार का प्रबन्धन करना। ■

7. कृष्ण कुटीर योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में विधवाओं के लिए कृष्ण कुटीर नामक आश्रम का उद्घाटन किया। इस आश्रम के लिए धनराशि केंद्र सरकार ने दी है और उसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।

कृष्ण कुटीर

कृष्ण कुटीर एक हजार विधवाओं के लिए एक आश्रम है जिसे स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत बनाया गया है। यह सरकार द्वारा निर्मित अपने ढंग का अब तक का सबसे बड़ा आश्रम है। इसे वृन्दावन में कष्टमय स्थिति में रह रही विधवाओं की दुर्दशा को कम करने के लिए बनाया गया है।

स्वाधार गृह योजना क्या है?

- स्वाधार योजना का अनावरण 2002 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कष्टकारी दशाओं में गुजर कर रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की सुविधा दी जाती है।
- इस योजना के लाभार्थी हैं- परिवार और सम्बन्धियों के द्वारा परित्यक्त विधवाएँ, कारागार से मुक्त की गई वैसी महिलाएँ जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित रह जाने वाली महिलाएँ, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा की शिकार महिलाएँ आदि।

स्वाधार गृह योजना का कार्यान्वयन

इस योजना में राज्य/केंद्र शाषित क्षेत्र की सरकारें अर्हता रखने वाले संगठनों से आवेदन आमंत्रित करती हैं और जो आवेदन समीचीन होते हैं उन्हें सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति समिति के पास विचारार्थ रखा जाता है।

अर्हता

योजना का कार्यान्वयन करने वाले संगठन के लिए निर्धारित अर्हताएँ निम्नलिखित हैं-

- उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- उसे सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- इसके काम को सरकार ने संतोषजनक कहा हो।
- इसे महिला कल्याण/समाज कल्याण के क्षेत्र में कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- इसकी वित्तीय स्थिति ठीक होनी चाहिए।
- संगठन के पास परियोजना का प्रबन्धन करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ, अनुभव और कार्मिक बल होना चाहिए।
- इसके पास कंप्यूटर, इन्टरनेट सम्पर्क आदि होने चाहिएँ।

स्वाधार गृह को गैर लाभकारी आधार पर चलाना होगा। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत और अमेरिका के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन

भारत और अमेरिका ने 06 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली में पहली बार टू प्लस टू (2+2) वार्ता का आयोजन किया। टू प्लस टू बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अमेरिका की अफगान नीति का समर्थन करता है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने भारत और अमेरिका की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनएसजी में जल्द से जल्द भारत की सदस्यता को लेकर बातचीत हुई जिसपर सभी ने सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने दो बार इस मीटिंग को टाल चुका है। ये मीटिंग पहले अप्रैल में होनी थी, फिर जून में और अब आखिरकार ये 6 सितंबर को सम्पन्न हुई। दोनों ही बार मीटिंग टालने के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए गए थे। ये मीटिंग अब प्रत्येक साल होगी। दोनों देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करेंगे।

क्यों अहम है 2+2 वार्ता?

यह मीटिंग न सिर्फ सांकेतिक रूप से दोनों ही देशों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके जरिए दोनों ही देश अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करने में लग गये हैं।

एशिया-प्रशांत में चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के संबंध कड़वे हैं। ऐसे में अमेरिका को चीन का मुकाबला करने हेतु भारत से ज्यादा सक्षम देश कोई और नजर नहीं आता। इसलिए अमेरिका भारत को अपनी ओर करना चाहता है। ऐसे में ये मीटिंग दोनों देशों के लिए अपने-अपने हितों को जाहिर करना और सामने वाले की स्थिति भांपने के लिए काफी अहम है।

क्या है 2+2 वार्ता?

जब किसी दो देश के बीच दोनों देशों की ओर से दो-दो मंत्री वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच भी इस तरह की वार्ता हो चुकी है।

वार्ता से संबंधित मुख्य तथ्य

इस वार्ता में मुख्य रूप से एनएसजी सदस्यता, रक्षा और सुरक्षा, अफगान मामला, पाकिस्तान पर रणनीति तथा आतंकवाद पर बातचीत हुई। इस वार्ता में इरान से कच्चे तेल का आयात पर अमेरिकी पाबंदी और रूस से एस-400 वायु रक्षा मिसाईल प्रणाली खरीदने की भारत की योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया।■

2. इंडियन ओसियन वेव एक्सरसाइज 2018

हाल ही में भारत ने 23 अन्य देशों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित सुनामी मॉक अभ्यास IOWave 18 (Indian Ocean Wave Exercise- IOWave) में भाग लिया।

- IOWave18 नामक इस अभ्यास का आयोजन यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC-UNESCO) द्वारा किया गया।
- IOWave18 सुनामी अभ्यास में सभी पूर्व तटीय राज्यों ने भाग लिया।
- भारत की IOWave18 में भागीदारी गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की मदद से भू-विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services - INCOIS), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और तटवर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया गया।
- इस दो दिवसीय सुनामी मॉक अभ्यास में सभी तटवर्ती राज्यों ने INCOIS से सूचना बुलेटिन हासिल करते हुए अपनी संचार व्यवस्था का परीक्षण किया।
- NDMA के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. नाइक ने अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया।

IOC-UNESCO

- यूनेस्को का अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (Inter governmental Oceano graphic Commission of UNESCO - IOC - UNESCO) संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एकमात्र सक्षम संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में यूनेस्को के कार्यकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- इसने 26 दिसंबर, 2004 को आई सुनामी के बाद भारतीय समुद्र सुनामी चेतावनी और शमन व्यवस्था (Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System - IOTWMS) की स्थापना में मदद की थी।

INCOIS

INCOIS की स्थापना वर्ष 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।■

3. अंतरिक्ष में एलिवेटर इस्तेमाल करने की तैयारी में जापान

जापान के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एलिवेटर (लिफ्ट) का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। इसका पहला प्रयोग इसी महीने किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष में इंसान तो नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन दो सैटेलाइट को एक केबल के जरिए जोड़ा जा सकेगा। सैटेलाइट के जरिए तकनीकी की जांच के लिए यह छोटा वर्जन होगा।

शिंजुओका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने अभी परीक्षण के लिए बिल्कुल छोटा एलिवेटर बनाया है। इसमें एक बॉक्स होगा जो सिर्फ छह सेंटीमीटर लंबा, तीन सेंटीमीटर चौड़ा और तीन सेंटीमीटर ऊंचा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष में दो मिनी सैटेलाइट्स के बीच 10 मीटर तक का केबल लगाया जा सकेगा। इससे दोनों सैटेलाइट एक-दूसरे से अच्छी तरह संपर्क में रहेंगे।

अभी सिर्फ शुरुआत: एलिवेटर बॉक्स की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने के लिए सैटेलाइट में कैमरे भी लगाए जाएंगे। हालांकि, अंतरिक्ष में एलिवेटर इस्तेमाल के महत्वाकांक्षी सपने को पूरा करने के लिहाज से यह शुरुआती प्रयोग भर है।

123 साल पहले आया ऐसा आइडिया: अंतरिक्ष में एलिवेटर का आइडिया पहली बार रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टानटिन तॉसिल्कोवास्की ने 1895 में दिया था। उनके मन में यह विचार एफिल टावर देखने के बाद आया था। करीब एक सदी बाद ऑर्थर सी क्लार्क ने अपने उपन्यास में भी यह विचार दोहराया। हालांकि, तकनीकी बाधाओं की वजह से इस दिशा में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो सकी।

32 साल बाद इंसान को एलिवेटर से अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी: जापान की निर्माण कंपनी ओबायाशी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला एलिवेटर बनाने की तैयारी में है। ओबायाशी भी शिजुओका यूनिवर्सिटी के प्रयोग से जुड़ी है। यह कंपनी 2050 में खुद के बनाए एलिवेटर से इंसान को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है। उसका कहना है कि स्पेस एलिवेटर बनाने में कार्बन नैनोट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्बन बेहद हल्का और स्टील से 20 गुना मजबूत होता है। ■

4. इजरायल के तटीय नगर हाइफा

उत्तरी इजरायल के तटीय नगर हाइफा (Haifa) ने सितम्बर 6 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन शासन (Ottoman rule) से अपनी मुक्ति की सौंवी वर्षगाँठ मनाई। इस अवसर पर युद्ध में प्राण निछावर करने वाले वीर भारतीय सैनिकों का सम्मान किया गया। विदित हो कि इस दिन 100 वर्ष पहले यहाँ जो युद्ध छिड़ा था उसे इतिहास का ऐसा सबसे अंतिम और बड़ा युद्ध माना जाता है जिसमें घोड़ों का प्रयोग हुआ था।

हाइफा दिवस

भारतीय सेना भी प्रत्येक वर्ष 23 सितम्बर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है और भारत के तीन घुड़सवार रेजिमेंटों- मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स- का सम्मान करती है। इन रेजिमेंटों ने 1918 ई. में हाइफा की लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना की 15वीं इम्पीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड की ओर से जबरदस्त घुड़सवारी कार्रवाई करते हुए हाइफा को मुक्त कराया था।

हाइफा युद्ध और इसके भारतीय कब्रिस्तान का इतिहास और महत्त्व

- रेल और बंदरगाह होने के कारण इजरायल का हाइफा नगर रणनीतिक आपूर्ति का अड्डा था।
- यह उस समय ऑटमन तुर्कों के कब्जे में था।
- भारतीय घुड़सवार ब्रिगेडों का नेतृत्व ब्रिटिश जनरल Edmund Allenby कर रहे थे।
- हाइफा की जीत इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इसमें लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के पास हथियार के रूप में केवल भाले और तलवार ही थे, जबकि दूसरी ओर तुर्कों के पास उन्नत टॉप और मशीनगन थे।

तीन मूर्ति स्मारक

दिल्ली में स्थित तीन मूर्ति स्मारक का निर्माण 1922 ई. में उन भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तहत वर्तमान के गाजा पट्टी, इजरायल और फिलिस्तीन में लड़ाई की थी। ये सभी सैनिक जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर रजवाड़ों के निवासी थे।■

5. दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से सम्बंधित दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की 71वीं बैठक सम्पन्न हुई।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति क्या है?

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की स्थापना 1948 में हुई थी। यह क्षेत्रीय समिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीनस्थ है। इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देश सदस्य हैं। इस समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष सितम्बर को होती है जिसमें ये कार्य किये जाते हैं-

- क्षेत्र में स्वास्थ्य के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा।
- स्वास्थ्य से सम्बंधित विषयों पर संकल्प तैयार करना।
- विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा पारित संकल्पों के दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के सदस्य देश

1. बांग्लादेश, 2. भूटान, 3. दक्षिण कोरिया, 4. भारत, 5. इंडोनेशिया, 6. मालदीव, 7. म्यांमार, 8. नेपाल, 9. श्रीलंका, 10. थाईलैंड, 11. पूर्वी तिमोर।

ज्ञातव्य है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के अतिरिक्त अन्य पाँच ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए WHO के क्षेत्रीय संगठन कार्यरत हैं, ये हैं-

- पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र
- पश्चिमी प्रशांत सागर क्षेत्र
- यूरोप
- अफ्रीका का क्षेत्र (सहारा मरुस्थल के दक्षिण)
- उत्तर और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र। ■

6. एशिया यूरोप सम्मेलन (ASEM)

वैश्विक वार्धक्य एवं वृद्ध व्यक्ति मानवाधिकार (Global Ageing and Human Rights of Older Persons) विषय पर दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में एसेम का तीसरा सम्मेलन होने जा रहा है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकार की सर्वदेशीय महत्ता की पुष्टि करना। वृद्धों के प्रति भेदभाव के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, एशिया और यूरोप में वृद्धों की देखभाल के अनुकरणीय मामलों को साझा करना तथा एसेम वैश्विक वार्धक्य केंद्र के संचालन एवं कार्यकलाप पर विमर्श करना आदि।

एसेम के बारे में

- एशिया-यूरोप सम्मेलन (ASEM) आपसी संवाद एवं सहयोग की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें यूरोपीय संघ के 28 देश, 2 अन्य यूरोपियन देश, 21 एशियाई देश तथा ASEAN सचिवालय सम्मिलित होते हैं।
- ASEM जिन विषयों पर संवाद करता है वे राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषय होते हैं तथा सम्वाद का उद्देश्य यूरोपीय और एशियाई क्षेत्रों के बीच के सम्बन्धों को परस्पर सम्मान और समान भागीदारी की भावना से युक्त होकर सुदृढ़ करना है।
- इसकी स्थापना इसके पहले सम्मेलन में 1 मार्च, 1996 को हुई थी जो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था।
- ASEM सम्मेलन दो वर्ष में एक बार होता है।

इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं, वे हैं- देशों और सरकारों के प्रमुख, यूरोपियन परिषद् का अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष और ASEAN का महासचिव। ■

7. कैटिलोनिया की स्वतंत्रता पर विचार

स्पेन के प्रधानमन्त्री ने बार्सिलोना और मैड्रिड के बीच में बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास करते हुए इस विषय में जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया है कि कैटिलोनिया को और अधिक स्वायत्तता दी जाए अथवा नहीं। ज्ञातव्य है कि विगत वर्ष इस विषय में एक राजनैतिक संकट उत्पन्न हो गया था जब कैटिलोनिया की सरकार ने स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा करने का प्रयास किया था।

कैटिलोनिया क्या है?

- कैटिलोनिया आइबेरिया प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे एक भिन्न राष्ट्रीयता का दर्जा मिला हुआ है।
- इसके अंतर्गत चार प्रांत हैं- बार्सिलोना, गिरोना, लीडा और तारगोना।
- इसकी राजधानी और सबसे बड़ा नगर बार्सिलोना है जो स्पेन का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है।
- यह स्पेन के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है।
- स्पेन की कुल GDP का 20.27% कैटिलोनिया से ही आता है।
- यदि कैटिलोनिया एक अलग देश बन जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था इजरायल के बराबर और सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से बड़ी होगी।

इसकी प्रति व्यक्ति GDP 35,000 डॉलर होगी जिसका अभिप्राय यह है कि कैटिलोनिया का औसत नागरिक दक्षिण कोरिया अथवा इटली की नागरिकों से अधिक धनवान होगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

पेमेंट बैंक

चर्चा का कारण

1.1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितम्बर, 2018 को दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया।

1.2 आरंभ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएँ और 3250 केंद्र बनाए जाएंगे तथा सभी 1.55 लाख डाकघरों को इससे 31 दिसम्बर, 2018 तक जोड़ दिया जाएगा।

पेमेंट बैंक क्या है?

2.1 भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप की अनुमति है, जिसमें प्रमुख है कि ये बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते।

2.2 सरकार का यह निर्देश है कि इन बैंकों का परिचालन शुरूआत से ही पूर्णत: उच्च तकनीकी पर आधारित हो।

2.3 आरबीआई ने पेमेंट बैंक शुरू करने के लिये 15 अगस्त, 2015 को 11 कंपनियों को लाइसेंस जारी किया, हालांकि उसे 41 कंपनियों की तरफ से अर्जियाँ मिली थीं। इन कंपनियों में एयरटेल पेमेंट बैंक शुरू करने वाली पहली कंपनी है।

उद्देश्य

3.1 पेमेंट बैंक की शुरूआत उन लोगों के लिये की गई हैं जो दूर-दराज के गाँवों, कस्बों और छोटे-मोटे काम करने वाले कर्मचारियों तक बैंकिंग की सेवाएँ नहीं पहुँच पाती है।

3.2 इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है ताकि इसके जरिये हर किसी तक बैंकिंग की सारी सुविधायें प्राप्त हो सके।

3.3 पेमेंट बैंक पारंपरिक बैंकों से अलग है लेकिन ये उन सामान्य बैंक की तरह ही काम करेगा जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं और क्षेत्रीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग कार्य करते हैं।

सुविधायें

4.1 पेमेंट बैंक में खाताधारक अधिकतम एक लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकता है जिसमें उसे ब्याज भी मिलेगा जैसे की अन्य बैंकों में बचत खातों पर मिलता है।

4.2 इसके माध्यम से पैसे का लेन-देन किया जा सकता है जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था में नगदी रहित लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।

4.3 ये बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड देगा जो किसी भी बैंक के एटीएम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी अनुमति इन्हें नहीं दी गई हैं।

4.4 पेमेंट बैंक सिर्फ देश में रह रहे लोगों से ही जमा राशि लेगा, बाहर तथा एनआरआई लोगों को इस बैंक में पैसे जमा करने की अनुमति नहीं है।

4.5 पेमेंट बैंक ग्राहकों को नियमित बैंकों की तरह लोन नहीं दे सकता। ये बैंक सिर्फ बचत खाता खोल सकता है जहाँ पर पैसे जमा किये जा सकते हैं।

मुख्य तथ्य

5.1 एयरटेल पेमेंट बैंक में बचत खाता में पैसा जमा करने पर 7.25% का ब्याज मिलेगा।

5.2 इसमें एयरटेल से एयरटेल नंबर पर दूसरे बैंकों में पैसा भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

5.3 अपने खाता से पैसे निकालने पर 0.65% शुल्क देना पड़ेगा।

5.4 इसमें एक लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।

5.5 इसमें व्यक्ति आधार कार्ड से सीधे अपना खाता खोल सकता है।

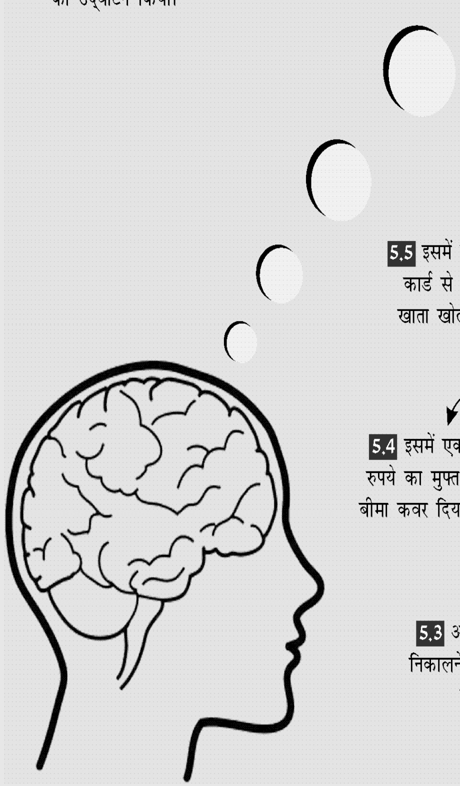

हिमालयी क्षेत्र संरक्षण

चर्चा का कारण

1.1 नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में झरना जल प्रणालियों को नुकसान से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिये एक समर्पित मिशन स्थापित करने का आग्रह किया है।

1.2 ये क्षेत्र के निवासियों के लिये पीने और सिंचाई दोनों कार्य हेतु जल के स्रोत के रूप में शीर्ष प्राथमिकता रखते हैं।

प्रमुख बिंदु

2.1 देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ और लगभग 5 करोड़ लोगों को आवास प्रदान करने वाला भारतीय हिमालयी क्षेत्र इन प्राकृतिक भूजल स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है, जो विकास और जलवायु परिवर्तन से निरंतर प्रेरित शहरीकरण के कारण बढ़े हुए खतरे के अंतर्गत आता है।

2.2 विशेषज्ञ समूह ने जल सुरक्षा के लिये हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार नामक अपनी रिपोर्ट में कहा, "लगभग आधे बारहमासी झरने पहले ही सूख गए हैं या मौसम आधारित हो गए हैं और हजारों गाँवों को वर्तमान में पीने तथा घरेलू उद्देश्यों के लिये पानी की कमी की विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।"

2.3 रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में छोटे आवासों के लिये जल प्रदान करने वाले लगभग 60% निम्न-निर्वहन वाले झरनों ने पिछले कुछ दशकों में स्पष्ट गिरावट दर्ज की है।

2.4 इसके अलावा हिमालय में कृषि क्षेत्र के लगभग 64% भाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही ये प्राकृतिक झरने अकसर इस क्षेत्र में सिंचाई के एकमात्र स्रोत होते हैं।

2.5 इस रिपोर्ट के अनुसार, 3,810 गाँवों में झरनों की उपस्थिति के साथ मेघालय में सभी पूर्वी हिमालयी राज्यों की तुलना में इन जल स्रोतों की सबसे ज्यादा संख्या थी, वहीं सबसे अधिक घनत्व सिक्किम में था जहाँ 94% गाँवों में झरने थे।

2.6 पश्चिमी हिमालय में सबसे ज्यादा 3,313 गाँवों में झरने और 50.6% का सर्वाधिक घनत्व, दोनों जम्मू-कश्मीर में थे।

शिमला का संकट

3.1 हाल ही में हिमाचल प्रदेश के आधे दर्जन जिलों और राज्य की राजधानी शिमला को मुख्य जल स्रोतों के पूर्णत: या आंशिक रूप से सूख जाने के बाद मई माह में गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।

3.2 जबकि राज्य के अधिकारियों के अनुसार, खराब जल प्रबंधन को मुख्य कारण माना गया, लेकिन इस संकट के योगदानकर्ता के रूप में उन्होंने झरनों से निम्न जल प्रवाह और कम बर्फ के पिघलने को भी जिम्मेदार ठहराया।

झरनों में प्रदूषण

4.1 रिपोर्ट में कहा गया है कि झरनों में प्रदूषण के कई स्रोत पाए गए और यह भूगर्भीय या 'प्राकृतिक' और मानवजनित दोनों के कारण हुआ।

4.2 माइक्रोबियल सामग्री, आर्सेनिक व लौह से प्रदूषण का कारण मुख्य रूप से भूगर्भीय स्रोत थे।

4.3 झरनों के पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सेप्टिक टैंक, घरेलू अपशिष्ट जल, पशुधन और स्रोत क्षेत्र में खाद से या झरने को जलीय चट्टानी परत से जल प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रबंधन हेतु कार्य-योजना

5.1 विशेषज्ञ समूह, झरनों के प्रबंधन हेतु बहुआयामी, सहयोगी दृष्टिकोण जिसमें झरना जल प्रबंधन के मौजूदा कार्यों के साथ-साथ निकाय को व्यवस्थित रूप से और अधिक मजबूती प्रदान करना शामिल होगा, की सिफारिश करता है।

5.2 इस कार्यक्रम को झरना जल प्रबंधन पर जल-भूविज्ञान आधारित, सामुदायिक-समर्थन प्रणाली के हिस्से के रूप में एक एक्शन-रिसर्च प्रोग्राम की अवधारणा पर प्रारूपित किया जा सकता है।

5.3 समूह ने इस पर विशेष ध्यान दिया कि 500 कस्बों और 10 शहरों की वजह से विकसित होते शहरीकरण के कारण भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 60,000 से अधिक गाँवों के जल संसाधनों पर जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है।

5.4 यह कार्यबल झरना जल प्रबंधन का कायापलट करने के लिये 8 साल के कार्यक्रम अपनाए जाने हेतु विचार करता है। इसमें शामिल हैं: देश के झरनों के लिये डिजिटल एटलस तैयार करना, 'पैरा-हाइड्रोजियोलॉजिस्ट' को प्रशिक्षण देना जो 'झरना स्वास्थ्य कार्ड' के जमीनी स्तर पर संरक्षण और भूमिका का नेतृत्व कर सकते हैं।

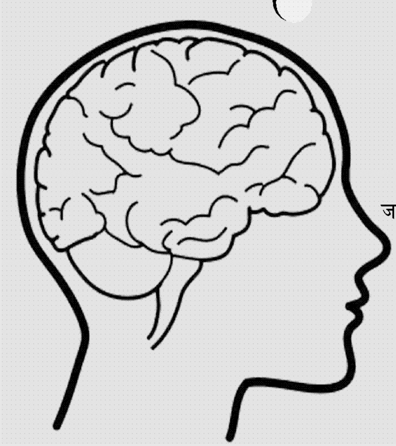

दवा प्रतिरोधी सुपरबग

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दस देशों से (यूरोप सहित) ऐसे तीन प्रकार के दवारोधी कीटाणु की खोज की है, जिन्हें बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

1.2 इन कीटाणुओं का वैज्ञानिक नाम Staphylococcus epidermidis है। इन्हें Super Bug भी कहा जाता है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध

2.1 अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है जिससे अमेरिका में बीस लाख से अधिक लोग संक्रमित होते हैं प्रत्येक साल इनमें से 23 हजार की मौत हो जाती है।

2.2 इसमें यह भी कहा गया है कि 2000 से 2010 तक पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत 50 अरब से बढ़कर 70 अरब मानक इकाई तक पहुँच गयी।

2.3 इनमें सबसे अधिक खपत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में हुई।

2.4 उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रमण के कारण हर साल 57 हजार शिशुओं की मौत हो जाती है।

मुख्य बिंदु

3.1 शोधकर्ताओं ने एक आनुवांशिक स्क्रीन का इस्तेमाल कर यह देखा कि परिवर्तित बैक्टीरिया किसी खास एंटीबायोटिक पर विकसित हुए या नहीं। उन्होंने पाया कि डीएनए की मरम्मत करने वाला एक एंजाइम प्रभावी तरीके से बैक्टीरिया में बदलाव को नियंत्रित करता है।

3.2 यह एंजाइम न्यूक्स से श्रावित हो रहा था। शोधकर्ताओं ने न्यूक्स जीन में उन आनुवंशिक बदलावों की पहचान भी की, जो अलग रखे माइकोबैक्टीरिया में बदलाव की दर को प्रभावित करते हैं।

3.3 इस खोज से टीबी के मरीजों में बैक्टीरिया के दवा-प्रतिरोधी बनने के कारणों को समझने में मदद मिलेगी।

बैक्टीरिया या सुपरबग

4.1 विभिन्न रोगों के बैक्टीरिया समय के साथ उन दवाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं, जिनसे उनका इलाज किया जाता है। यानी बैक्टीरिया पर उन दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता।

4.2 बैक्टीरिया के इस गुण को दवा-प्रतिरोधी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया या सुपरबग कहते हैं।

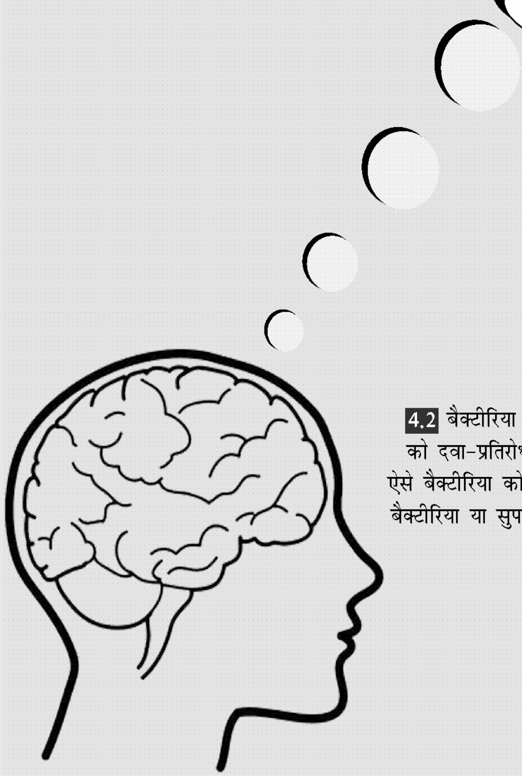

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सिंगापुर में पूर्वी एशिया के वित्त मंत्रियों की छठी शिखर बैठक सम्पन्न हुई।

1.2 इस बैठक में 10 आसियान देशों के वित्त मंत्रियों के अतिरिक्त इन 8 सम्यवाद देशों ने भी भाग लिया- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैण्ड, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।

बैठक के परिणाम

2.1 बैठक में आर्थिक संकट की संभावित चुनौतियों के समाधान के लिए आपस में आर्थिक सम्पर्क बनाने पर बल दिया गया।

2.2 मंत्रियों की इस बात पर सहमति हुई कि बाजार को खुला और न्यायसंगत होना चाहिए तथा इसकी पारदर्शिता एवं संभाव्यता में सुधार लाया जाए।

2.3 बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक गुटों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान प्रयासों को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे कि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और एकबाध्यता को बढ़ावा मिले।

क्या है?

3.1 प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन एक मंच है जिसमें आरम्भ में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया के 16 देश शामिल हुए थे।

3.2 बाद में सम्मेलन की 2011 में होने वाली बैठक में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई और इसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हो गये।

3.3 इस सम्मेलन की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 2005 को मलेशिया के क्वालालम्पुर में हुई थी।

3.4 पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में राजनैतिक सुरक्षागत एवं आर्थिक मामलों में विचारों का आदान-प्रदान और सहयोग किया जाता है।

3.5 जिन विषयों में सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है, वे हैं- पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य के मामले, सर्वव्यापी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं आसियान देशों के बीच आपसी सम्पर्क।

3.6 2017 के नवम्बर में मनीला, फिलीपींस में सम्पन्न बैठक में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ने सामुद्रिक सहयोग को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया।

लेप्टोस्पायरोसिस

चर्चा का कारण

1.1 बाढ़ग्रस्त केरल में लेप्टोस्पायरोसिस से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद चूहे से फैलने वाले इस बुखार से मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई। इसे रैट फीवर भी कहा जाता है।

क्या है?

2.1 लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है। यह लेप्टोस्पिरा जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है।

2.2 यह संक्रमित जानवरों के मूत्र के जरिये फैलता है। जो पानी या मिट्टी में रहते हुए कई सप्ताह से लेकर महीनों तक जीवित रह सकते हैं।

क्या है वजहें

3.1 ज्यादा बारिश और उसके नतीजतन बाढ़ से चूहों की संख्या बढ़ जाने के चलते जीवाणुओं का फैलाव आसान हो जाता है।

3.2 संक्रमित चूहों के मूत्र में बड़ी मात्रा में लेप्टोस्पायर्स होते हैं, जो बाढ़ के पानी में मिल जाते हैं। जीवाणु त्वचा, आँख, नाक या मुंह की झल्ली के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, खासकर यदि त्वचा में कट लगा हो तो।

3.3 दूषित पानी पीने से भी संक्रमण हो सकता है। उपचार के बिना, लेप्टोस्पायरोसिस गुर्दे की क्षति, मेनिनजाइटिस (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों और सूजन), लीवर की विफलता, सांस लेने में परेशानी और यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता है।

3.4 लेप्टोस्पायरोसिस के कुछ लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, ठंड, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, पीलिया, लाल आंखें, पेट दर्द, दस्त आदि शामिल हैं। किसी व्यक्ति के दूषित स्रोत के संपर्क में आने और बीमार होने के बीच का समय दो दिन से चार सप्ताह तक का हो सकता है।

इलाज

4.1 बीमारी का रोगी की पहले की स्थिति और शारीरिक जांच के आधार पर निदान किया जाता है।

4.2 गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को उचित चिकित्सा परीक्षण कराने को कहा जाता है। शुरूआती चरण में लेप्टोस्पायरोसिस का निदान करना मुश्किल होता है, क्योंकि लक्षण फ्लू और अन्य आम संक्रमणों जैसे ही प्रतीत होते हैं।

4.3 लेप्टोस्पायरोसिस का इलाज चिकित्सक द्वारा निर्धारित विशिष्ट एंटीबायोटिक्स के साथ किया जा सकता है।

बचाव के उपाय

5.1 गंदे पानी में घूमने से बचें, चोट लगी हो तो उसे ठीक से ढंके, बंद जूते और मोजे पहन कर चलें। मधुमेह से पीड़ित लोगों के मामले में यह सावधानी खासतौर पर महत्वपूर्ण है।

5.2 अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ करें और उन्हें मुलायम सूती तौलिए से सुखाएँ। गीले पैरों में फंगल संक्रमण हो सकता है। पालतू जानवरों को जल्दी से जल्दी टीका लगवाएँ, क्योंकि वे संक्रमण के संभावित वाहक हो सकते हैं।

5.3 जो लोग लेप्टोस्पायरोसिस के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आते-जाते हैं, उन्हें तालाब में तैरने से बचना चाहिए। केवल सीलबंद पानी पीना चाहिए। खुले घावों को साफ करके ढंक कर रखना चाहिए।

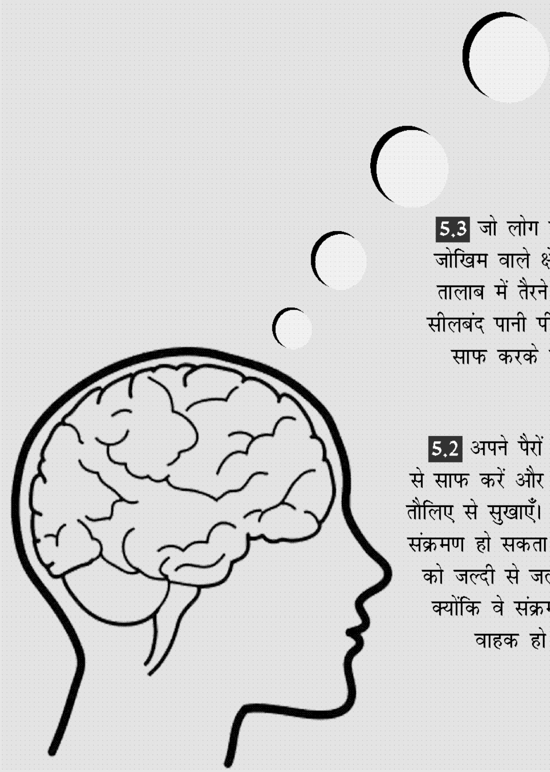

रोगी अधिकार चार्टर

चर्चा का कारण

1.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में रोगी अधिकार चार्टर का प्रारूप निर्गत किया है।

1.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है कि इस चार्टर को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाए जिससे चिकित्सा संस्थाओं में उचित स्वास्थ्यगत देखभाल की व्यवस्था हो सके।

मुख्य तथ्य

2.1 चार्टर के प्रारूप में रोगियों के विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया गया है।

2.2 प्रारूप में रोगियों के अधिकार से सम्बन्धित सभी प्रासंगिक प्रावधानों का भी वर्णन है। इस प्रकार इन प्रावधानों को एक स्थान में लाकर यह चार्टर उन्हें जनसाधारण के संज्ञान में ले आया है।

2.3 आशा की जाती है कि यह दस्तावेज केंद्र और राज्य सरकारों को रोगियों के अधिकार के बारे में आवश्यक ठोस तंत्र के निर्माण के संदर्भ में एक मार्ग निर्देशित दस्तावेज के रूप में काम देगा।

2.4 इस प्रकार रोगियों के अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी और साथ ही इन अधिकारों की पूर्ति के लिए आवश्यक तंत्र विकसित किया जा सकेगा और इन अधिकारों को कानून के द्वारा लागू किये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

विशेष

3.1 रोगी द्वारा चिकित्सक को सभी अपेक्षित जानकारी देनी होगी और काई भी प्रासंगिक तथ्य छिपाना नहीं होगा जिससे कि चिकित्सक सही निदान और उपचार कर सकें।

3.2 रोगियों के ये उत्तरदायित्व भी होंगे- चिकित्सक से मिलने के समय के बारे में विहित निर्देशों का पालन करना, दूसरे रोगियों को परेशान नहीं करना और अस्पताल में स्वच्छता बनाये रखना।

3.3 रोगियों का यह कर्तव्य है कि वे चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारियों की गरिमा का सम्मान करें और चाहे कोई भी शिकायत क्यों न हो, देख-भाल करने वालों के साथ किसी रूप में हिंसा का बर्ताव नहीं करें।

3.4 प्रारूप में यह प्रस्ताव है कि उपचार के विकल्पों के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेवारी रोगी स्वयं लें।

चार्टर का महत्व

4.1 यदि मानवाधिकार आयोग के द्वारा प्रस्तुत चार्टर के प्रावधान लागू हो जाएँ तो रोगियों को न केवल आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल का अधिकार ही मिलेगा, अपितु उन्हें यह छूट भी मिल जायेगी कि वे अपने रोग के बारे में किसी दूसरे चिकित्सक का परामर्श लें और वैकल्पिक उपचार भी करा सकें।

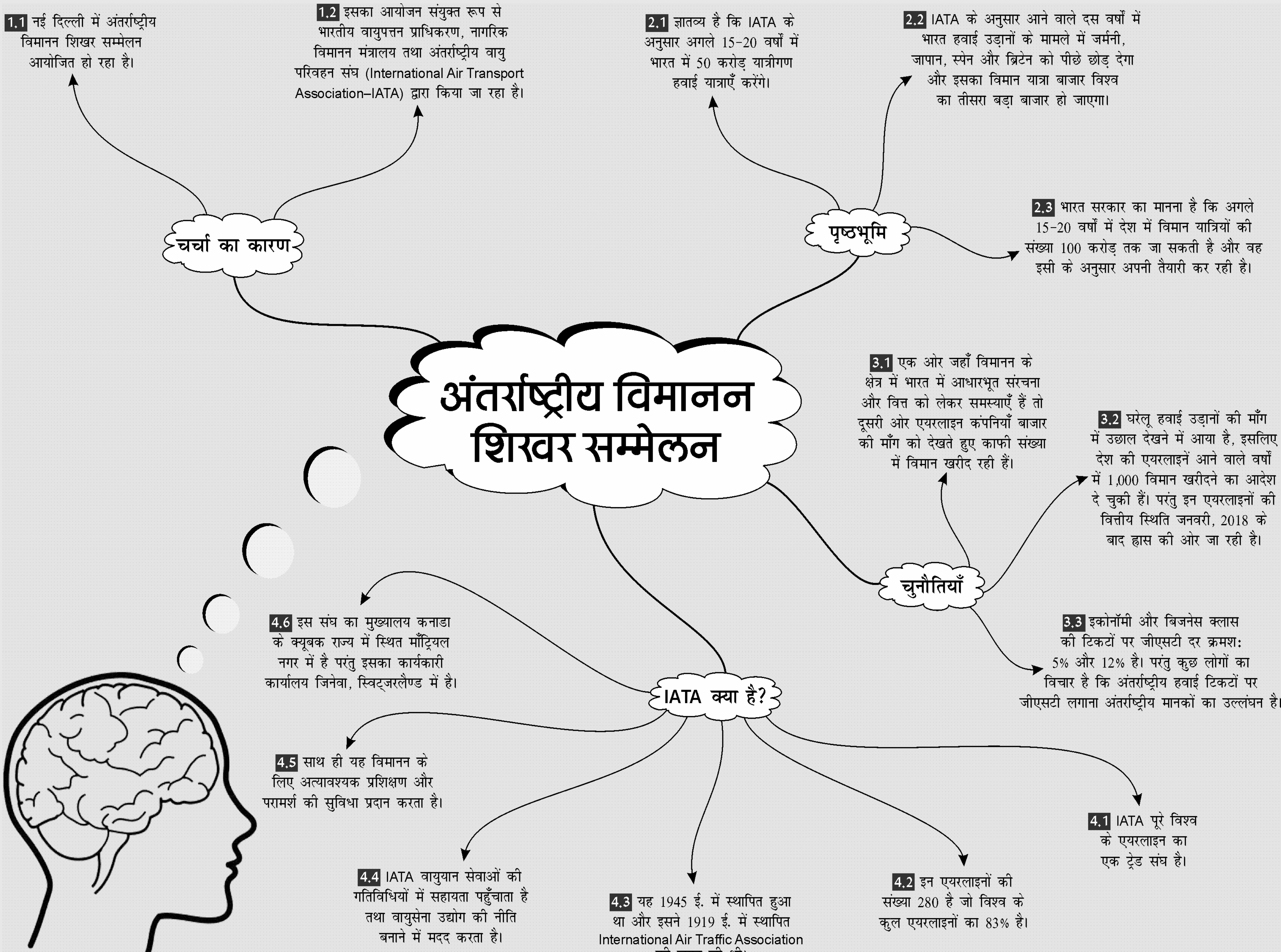
अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन
चर्चा का कारण
1.1 नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है।
1.2 इसका आयोजन संयुक्त रूप से भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण, नागरिक विमानन मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (International Air Transport Association–IATA) द्वारा किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
2.1 ज्ञातव्य है कि IATA के अनुसार अगले 15-20 वर्षों में भारत में 50 करोड़ यात्रीगण हवाई यात्राएँ करेंगे।
2.2 IATA के अनुसार आने वाले दस वर्षों में भारत हवाई उड़ानों के मामले में जर्मनी, जापान, स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और इसका विमान यात्रा बाजार विश्व का तीसरा बड़ा बाजार हो जाएगा।
2.3 भारत सरकार का मानना है कि अगले 15-20 वर्षों में देश में विमान यात्रियों की संख्या 100 करोड़ तक जा सकती है और वह इसी के अनुसार अपनी तैयारी कर रही है।
चुनौतियाँ
3.1 एक ओर जहाँ विमानन के क्षेत्र में भारत में आधारभूत संरचना और वित्त को लेकर समस्याएँ हैं तो दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियाँ बाजार की माँग को देखते हुए काफी संख्या में विमान खरीद रही हैं।
3.2 घरेलू हवाई उड़ानों की माँग में उछाल देखने में आया है, इसलिए देश की एयरलाइनें आने वाले वर्षों में 1,000 विमान खरीदने का आदेश दे चुकी हैं। परंतु इन एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति जनवरी, 2018 के बाद ह्रास की ओर जा रही है।
3.3 इकोनॉमी और बिजनेस क्लास की टिकटों पर जीएसटी दर क्रमश: 5% और 12% है। परंतु कुछ लोगों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों पर जीएसटी लगाना अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है।
IATA क्या है?
4.1 IATA पूरे विश्व के एयरलाइन का एक ट्रेड संघ है।
4.2 इन एयरलाइनों की संख्या 280 है जो विश्व के कुल एयरलाइनों का 83% है।
4.3 यह 1945 ई. में स्थापित हुआ था और इसने 1919 ई. में स्थापित International Air Traffic Association की जगह ली थी।
4.4 IATA वायुयान सेवाओं की गतिविधियों में सहायता पहुँचाता है तथा वायुसेना उद्योग की नीति बनाने में मदद करता है।
4.5 साथ ही यह विमानन के लिए अत्यावश्यक प्रशिक्षण और परामर्श की सुविधा प्रदान करता है।
4.6 इस संघ का मुख्यालय कनाडा के क्यूबक राज्य में स्थित मॉँट्रियल नगर में है परंतु इसका कार्यकारी कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड में है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पेमेंट बैंक

प्र. पेमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप की अनुमति है जिसमें प्रमुख है कि ये बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते।
2. आरबीआई ने पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए 15 अगस्त, 2016 को 20 कंपनियों को लाइसेंस जारी किया। इन कंपनियों में एयरटेल पहली कंपनी है जिसने पेमेंट बैंक शुरू किया है।
3. पेमेंट बैंक में खाताधारक अधिकतम पाँच लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकता है।
4. पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड देगा जो किसी भी बैंक के एटीएम में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः आरबीआई ने पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए 15 अगस्त, 2015 को 11 कंपनियों को लाइसेंस जारी किया था। इस तरह कथन 2 गलत है। हालांकि इन कंपनियों में एयरटेल पहली कंपनी है जिसने पेमेंट बैंक शुरू किया था। पेमेंट बैंक में खाताधारक अधिकतम एक लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकता है। इस तरह कथन 3 भी गलत है। अतः उत्तर (c) होगा। ■

2. हिमालयी क्षेत्र संरक्षण

प्र. हिमालयी क्षेत्र संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में झरना जल प्रणालियों को नुकसान से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित मिशन स्थापित करने का आग्रह किया है।
2. नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी हिमालय में सबसे ज्यादा 3313 गाँवों में झरने और 50.6% का सर्वाधिक घनत्व दोनों हिमाचल प्रदेश में थे।
3. नीति आयोग ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि 500 कस्बों और शहरों की वजह से शहरीकरण के कारण हिमालयी क्षेत्र में 60,000 से अधिक गाँवों के जल संसाधनों पर जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में झरना जल प्रणालियों को नुकसान से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिये एक समर्पित मिशन स्थापित करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी हिमालय में सबसे ज्यादा 3313 गाँवों में झरने और 50.6% का सर्वाधिक घनत्व दोनों जम्मू-कश्मीर में थे। शहरीकरण के कारण हिमालयी क्षेत्र के 60,000 से अधिक गाँवों पर जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है। इस तरह कथन 1 व 3 सही है, इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

3. दवा प्रतिरोधी सुपरबग

प्र. दवा प्रतिरोधी सुपरबग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ऐसे तीन प्रकार के दवारोधी कीटाणु की खोज की है जिन्हें बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
(b) विभिन्न रोगों के बैक्टीरिया समय के साथ उन दवाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं जिनसे उनका इलाज किया जाता है। बैक्टीरिया के इस गुण को दवा-प्रतिरोधी कहा जाता है।
(c) वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2000 से 2010 तक पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत 50 अरब से बढ़कर 90 अरब मानक इकाई तक पहुँच गई।
(d) दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम "स्टैफीलोकोकस इपीडरमिडीस" (Staphylococcus Epidermidis) है।

उत्तरः (c)

व्याख्याः वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2000 से 2010 तक पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत 50 से बढ़कर 70 अरब (न कि 90 अरब) मानक इकाई तक पहुँच गई है। इस तरह कथन (c) गलत है। ■

4. पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन

प्र. पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस सम्मेलन की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 2008 को मलेशिया के क्वालालम्पुर में हुई थी।
2. 2017 के नवम्बर में मनीला, फिलीपींस में संपन्न बैठक में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ने सामुद्रिक सहयोग को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया।
3. प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन एक मंच है जिसमें आरंभ में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के 20 देश शामिल हुए थे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 2005 (न कि 2008) को मलेशिया के क्वालालम्पुर में हुई थी। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन एक मंच है जिसमें आरंभ में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी एशिया के 16 देश शामिल हुए थे। इस तरह कथन 1 व 3 गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

5. लेप्टोस्पायरोसिस

प्र. लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है।
2. संक्रमित चूहों के मूत्र में बड़ी मात्रा में लेप्टोस्पायस होते हैं जो बाढ़ के पानी में मिल जाते हैं।
3. लेप्टोस्पायरोसिस के कुछ लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठण्ड, मासपेशियों में दर्द, उल्टी, पीलिया, लाल आँखें, पेट दर्द आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: केरल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लेप्टोस्पायरोसिस से एक महिला की मौत हो गई जिसके बाद चूहे से फैलने वाले इस बुखार से मरने वालों की संख्या 15 पहुँच गई है। लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

6. रोगी अधिकार चार्टर

प्र. रोगी अधिकार चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस चार्टर में रोगियों के अधिकार से संबंधित सभी प्रासंगिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
2. प्रारूप में यह प्रस्ताव है कि उपचार के विकल्प के सम्बन्ध में अपनी पसंद की जिम्मेवारी रोगी स्वयं लें।
3. यह अधिकार चार्टर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बिना राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: रोगी अधिकार चार्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी। इस तरह कथन 3 गलत है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के चिकित्सा संस्थाओं में उचित स्वास्थ्यगत देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा दिए गए कथन सही है इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

7. अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन

प्र. अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।
2. अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में किया गया।
3. भारतीय वायु पत्तन प्राधिकरण के अनुसार इकॉनोमी और बिजनेस क्लास की टिकटों पर जीएसटी दर क्रमश: 5% और 12% है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) इनमें से काई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कनाडा के क्यूबेक राज्य में स्थित मॉन्ट्रियल नगर में है परंतु इसका कार्यकारी कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में है। इस तरह कथन 1 गलत है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली शहर में किया गया। इस तरह कथन 2 गलत है। भारतीय वायु पत्तन प्राधिकरण के अनुसार इकॉनोमी और बिजनेस क्लास की टिकटों पर जीएसटी दर क्रमश: 5% और 12% है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. भारत का सबसे लम्बा रेल व सड़क पुल "बोगीबील" किस नदी पर बनाया जायेगा?

   - ब्रह्मपुत्र नदी

2. नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

   - बिमल जालान

3. एरो इंडिया 2019, का आयोजन किस शहर में किया जायेगा?

   - बेंगलुरु

4. हाल ही में किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने विटामिन बी-12 डेरीवेटिव का उपयोग करके सस्ती आर्गेनिक सोलर सेल का निर्माण किया है?

   - IISER भोपाल

5. विश्व प्रमाणन शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है?

   - नई दिल्ली

6. "द रूल ब्रेकर्स" नामक उपन्यास को किस भारतीय लेखिका ने लिखा है?

   - प्रीती शेनॉय

7. किस उड़िया कवि को प्रतिष्ठित 39वें 'सरला पुरस्कार' से सम्मानित किया जायेगा?

   - सतरुघना पांडव

सात महत्वपूर्ण चक्रवातीय तूफान

1. चक्रवाती तूफान `सागर'

- **कब**
  - 18 मई 2018-20 मई 2018
- **शुरू कहाँ**
  - चक्रवाती तूफान सागर, यमन के अदन शहर से करीब 390 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सीकोत्रा द्वीप समूह से 560 किलोमीटर पश्चिम उत्तर-पश्चिम में अदन की खाड़ी से।
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप।
  - अदन की खाड़ी और पश्चिमी मध्य एवं दक्षिण पश्चिम अरब सागर के आस-पास का क्षेत्र।
- **रफ्तार**
  - 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा

2. चक्रवाती तूफान `मेकुनू'

- **कब**
  - 24 मई 2018-28 मई 2018
- **शुरू कहाँ**
  - अरब सागर
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - सीकोत्रा द्वीप से 190 किलोमीटर पूर्व और उत्तर-पूर्व तथा सालालाह से दक्षिण-पूर्व में 470 किलोमीटर की दूरी पर।
  - दक्षिण ओमान तथा यमन के तट
  - भारत में लक्षद्वीप, गोवा।
- **रफ्तार**
  - 160-180 किलोमीटर प्रतिघंटा

3. चक्रवाती तूफान `गीता'

- **कब**
  - 12 फरवरी 2018-5 अगस्त 2018
- **शुरू कहाँ**
  - प्रशांत महासागर में न्यूजीलैण्ड के उत्तर में और फिजी के पूर्व में स्थित टोंगा क्षेत्र।
  - रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - फिजी और टोंगा क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया।
- **विशेष**
  - हिन्द महासागर क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों को नाम देने की परंपरा साल 2004 से शुरू हुई जब भारत की पहल पर 8 तटीय देशों ने इसको लेकर समझौता किया। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाइलैण्ड शामिल हैं।

4. चक्रवाती तूफान `हक्टर'

- **कब**
  - 6 अगस्त 2018-22 अगस्त 2018
- **शुरू कहाँ**
  - मध्य प्रशांत महाद्वीप
- प्रभावित क्षेत्र
  - इंग्लैण्ड, उत्तरी आयरलैण्ड और स्कॉटलैण्ड आदि क्षेत्र।
- रफ्तार
  - 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा

5. चक्रवाती तूफान `फ्लोरेन्स'

- **कब**
  - 11 सितम्बर-13 सितम्बर, 2018
- **शुरू कहाँ**
  - अमेरिका के वासिंगटन
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - अमेरिका के पूर्वी तट, साऊथ कैरोलाइना, टेक्सास, तथा नार्थ कैरोलाइना का पूरा शहर।

- पूर्वी तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ।

- **रफ्तार**
  - 195 किलोमीटर प्रति घंटा
- **विशेष**
  - नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) ने फ्लोरेन्स को बेहद खतरनाक मौसमी घटना बताया है। यह तटीय और अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण तबाही मचा सकता है। इस चक्रवात के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसीसिपी में होने वाली रैली रद्द कर दी।

6. चक्रवाती तूफान 'एवा'

- **कब**
  - 5 जनवरी 2018-15 जनवरी 2018
- **शुरू कहाँ**
  - मेडागास्कर के पूर्वी तट पर
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - अफ्रीका के द्वीपीय देश मेडागास्कर के वेनिला उत्पादक पूर्वोत्तर तट पर सर्वाधिक प्रभाव देखा गया।
- **रफ्तार**
  - 140-190 किलोमीटर प्रति घंटा
- **विशेष**
  - 80,0000 से अधिक लोग इस चक्रवात की जद में आए जबकि 22 लोग लापता हो गये। चक्रवात राजधानी अत्तानानारिवों और बंदरगाह शहर टोमासीजा तथा पूर्वी शहर तामाताव में तीव्र बाढ़ का कारण बना।

7. चक्रवाती तूफान 'ओखी'

- **कब**
  - 2 दिसम्बर 2017-19 दिसम्बर 2017
- **कहाँ शुरू**
  - श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिमी तट के किनारे पैदा हुआ।
- **प्रभावित क्षेत्र**
  - तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक असर रहा।
  - लक्षद्वीप भी इस तूफान से काफी प्रभावित रहा।
- **रफ्तार**
  - 150-170 किलोमीटर प्रति घंटा
- **विशेष**
  - इस चक्रवात का ओखी नाम बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है जिसका अर्थ है नजर रखने वाला या निगाह रखने वाला। इस तूफान की वजह से केरल के तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, इटुक्की, कोट्टायम और एर्नाकुलम में बहने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया था।
  - इस चक्रवात का 1999 में ओडिशा के तट पर अनुभव किया गया था। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में चर्चा में रहा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? आरबीआई द्वारा तैयार की जा रही इस व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके लाभों को बताएँ।

2. हाल ही में समलैंगिकता पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आया है। भारतीय समाज समलैंगिकता पर क्या दृष्टिकोण रखता है। तथा इस व्यवस्था को अपनाने के लिए वह किस हद तक तैयार है? चर्चा करें।

3. केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? यह योजना भारत के गाँवों के विकास में कितना सहयोगी साबित हुआ है? समालोचनात्मक व्याख्या करें।

4. हाल ही में केरल में आई आपदा गाडगिल के पश्चिमी घाट संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी का परिणाम है। टिप्पणी करें।

5. कैटिलोनियों की स्वतंत्रता की माँग, पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रबुद्ध और प्रभावित कर रहा है? लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता को बतायें।

6. तीन तलाक पर रोक, उज्जवला योजना, जनधन योजना तथा बालिका समृद्ध योजना से भारत के ग्रामीण व शहरी महिलाओं के जीवन में किस प्रकार बदलाव आया है? उल्लेख करें।

7. पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? इसके लाभों की चर्चा करते हुए इसकी चुनौतियों को बतायें।

EDGE *for* IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और **Ethics case study** ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR
635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR
25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR
1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD
2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW
A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA
Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA-KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400